अध्याय-II

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

अध्याय-II

कृषि विभाग

2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.–किसान) योजना

2.1 परिचय

किसानों को लाभ के वितरण के लिए *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि* (पी.एम.–किसान) योजना फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई, जो कि 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी थी। इस योजना का उद्देश्य सभी भूमि धारक किसान परिवारों[1] को उचित फसल स्वास्थ्य एवं उचित पैदावार सुनिश्चित करने लिए विभिन्न उत्पादक सामग्रियों के आपूर्ति के साथ–साथ उनकी घरेलू जरूरतों हेतु वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए आय समर्थन प्रदान करना है। यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) माध्यम से संचालित, 100 *प्रतिशत* भारत सरकार की निधि के साथ एक केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजना है। इस योजना के अंतर्गत, कृषि भूमि के माप के निरपेक्ष, कुछ अपवर्जनों[2] के साथ, सभी पात्र किसान परिवारों को प्रत्येक चार माह अर्थात दिसंबर–मार्च, अप्रैल–जुलाई एवं अगस्त–नवंबर में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों की पहचान एवं उनके विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

लाभ केवल उन्हीं किसान परिवारों को दिया जाना है जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं। योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 है। विभिन्न माध्यम, जिसके जरिए राज्यों को भारत सरकार के पी.एम. किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड की अनुमति है, **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

---

1 *योजना के तहत एक भूमिधारी किसान परिवार को ''पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को सम्मिलित करते हुए एक परिवार जो संबंधित राज्य के भूमि अभिलेखों के अनुसार कृषि योग्य भूमि का मालिक हो'' के रूप में परिभाषित किया जाता है।*

2 *(क) सभी संस्थागत भूमि धारक, और (ख) किसान परिवार जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं: (i) संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्त्तमान धारक (ii) पूर्व एवं वर्त्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/विधान परिषदों के पूर्व/वर्त्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्त्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्त्तमान अध्यक्ष;*

(iii) केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.)/चतुर्थ श्रेणी/समूह–घ कर्मचारिओं को छोड़कर);

(iv) सभी अधिवर्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है (एम.टी.एस./चतुर्थ श्रेणी/समूह–घ कर्मचारियों को छोड़कर; (v) पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति; (vi) पेशेवर निकायों में पंजीकृत पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर पेशा करते हैं, (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.)।

चार्ट–2.1
पी.एम.–किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के माध्यम

(स्रोतः पी.एम.–किसान दिशानिर्देश, भारत सरकार)

2.2 संगठनात्मक ढाँचा

बिहार सरकार राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए सचिव के नेतृत्व में कृषि विभाग, नोडल विभाग है एवं केंद्र सरकार के साथ समायोजन स्थापित करता है। कृषि विभाग द्वारा योजना के लिए राज्य केन्द्रक अधिकारी (एस.एन.ओ.) के रूप में निदेशक (कृषि)/अपर निदेशक (कृषि विज्ञान) को नामित (फरवरी/मार्च 2019) किया गया था।

जिला स्तर पर अपर जिला समाहर्त्ता/राजस्व (ए.डी.एम.), पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयकों (ए.सी.) द्वारा लाभार्थी की पहचान एवं प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी (सी.ओ.) द्वारा भूमि सत्यापन के आधार पर, लाभार्थियों को अनुमोदित करते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निर्धारण करना थाः–

- लाभार्थियों की पहचान एवं सत्यापन के लिए स्थापित प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावशीलता;
- योजना का वित्तीय प्रबंधन सहित लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया, प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण, प्रतिदाय और उनका लेखांकन; और
- योजना के लिए निगरानी तंत्र की दक्षता एवं प्रभावशीलता।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किये गये थे : –

- योजना का परिचालन दिशानिर्देश/सामान्य प्रश्न ;
- योजना से संबंधित निधि अंतरण, प्रतिदाय तंत्र, व्ययों की प्रतिपूर्ति आदि पर दिशानिर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) ;
- भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा निर्गत पत्राचार एवं निर्देश ;
- निगरानी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त ;
- कृषि जनगणना 2015–16 (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार);

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी.) के प्रतिवेदन।

2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र, प्रणाली एवं सीमाएं

2018–19 से 2020–21 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा नमूना आधार पर कृषि विभाग के कार्यालयों एवं इसके 10 जिला कृषि कार्यालयों एवं 20 प्रखंड कृषि कार्यालयों तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालय यानि 10 ए.डी.एम. कार्यालय (जिला स्तर पर) एवं 20 सी.ओ. कार्यालय (प्रखंड स्तर पर) के अभिलेखों की नमूना–जाँच[3] के माध्यम से अगस्त से नवंबर 2021 में संचालित किया गया।

लेखापरीक्षा प्रणाली में दस्तावेज विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रहण, चयनित 841 लाभार्थियों[4] के अभिलेखों की जाँच एवं उनमें से 300 नमूना लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन सम्मिलित था। जुलाई 2021 में कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशकों के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड एवं प्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के सचिव तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक–सह–अतिरिक्त सचिव के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्रतिक्रियाओं को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की कुछ सीमाएँ थी। उनमें से एक यह था कि, कई अनुरोधों (अगस्त–सितंबर 2021) के बावजूद, कृषि विभाग ने राज्य के योजना डेटाबेस तक पहुँच की अनुमति नहीं दिया था, जिससे लेखापरीक्षा के दौरान आंकड़ों का वास्तविक परीक्षण बाधित हुआ। अभिलेखों का अव्यवस्थित रखरखाव/गैर–रखरखाव/कुछ अभिलेखों एवं सूचनाओं का गैर–प्रस्तुतिकरण एक अन्य सीमा थी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा विचलनों की सटीक सीमा का निर्धारण नहीं कर सका।

---

[3] *स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का उपयोग करते हुए, 10 जिलों (बांका, दरभंगा, जमुई, खगड़िया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, सारण और सीवान), 20 प्रखंडों (प्रत्येक नमूना जाँचित जिले में दो प्रखंड) एवं 60 ग्रामों (प्रत्येक नमूना जाँचित प्रखंड में तीन ग्राम) से कुल 900 लाभार्थियों के अभिलेखों का चयन किया गया। चुने गए 900 लाभार्थी (प्रत्येक नमूना जाँचित ग्राम में 15) के अभिलेखों में से, 300 लाभार्थियों का लेखापरीक्षा के दौरान भौतिक सत्यापन के लिए भी चयन किया गया।*

[4] *चुने गए 900 लाभार्थियों में से, केवल 841 लाभार्थियों के अभिलेख उपलब्ध कराए गए और क्षेत्र लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापित किया गया एवं उनमें से 300 लाभार्थियों (60 नमूना जाँचित ग्रामों में से प्रत्येक से पांच) का भौतिक सत्यापन किया गया। प्रस्तुत नहीं किए गए 59 लाभार्थी अभिलेखों के जिलावार ब्यौरा में– दरभंगा (12), जमुई (पांच), खगड़िया (तीन), मधुबनी (11), पूर्वी चंपारण (सात), पूर्णिया (तीन), सहरसा (एक), सारण (11) एवं सिवान (छह) सम्मिलित हैं।*

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6 लाभार्थी की पहचान एवं सत्यापन प्रक्रिया की दक्षता एवं प्रभावशीलता

भारत सरकार ने 1 फरवरी 2019 को 2019–20 के अंतरिम केंद्रीय बजट में पी.एम. –किसान योजना की घोषणा की। उसी दिन, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू.) ने योजना को लागू करने के भारत सरकार के निर्णय के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया जिसके अनुसार लाभार्थियों को हस्तांतरण के लाभ 1 दिसंबर 2018 के पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकार्य थे। डी.ए.सी. एफ.डब्ल्यू. ने राज्य सरकार को तेज गति से डाटा अपलोड शुरू करने के लिए कहा (11 फरवरी 2019), ताकि 20 फरवरी 2019 तक पर्याप्त प्रविष्टियां की जा सकें। तदनुसार, बिहार सरकार के कृषि विभाग ने योजना के कार्यान्वयन के तौर–तरीकों के संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देश जारी किया (12 फरवरी 2019)। डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) को आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दिया (18 फरवरी 2019) ताकि योजना आरम्भ होने के बाद 24 फरवरी 2019 को स्वयं किसानों को लाभ हस्तांतरित किया जा सके।

हालांकि, डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. के पत्राचार (26/28 फरवरी 2019) से ज्ञात हुआ कि राज्यों ने त्रुटिपूर्ण आंकड़ा अपलोड किया था और कुछ गैर–लाभार्थियों को भुगतान प्राप्त हुआ था लेकिन इन भुगतानों को स्वतः प्रतिलोन करने का तंत्र अनुपस्थित था।

सचिव, कृषि विभाग ने भी स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि भूमि जोत आंकड़ा एवं डिजीटल भूमि अभिलेखों की अनुपलब्धता उस समय की समस्याएँ थी।

2.6.1 संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची उपलब्ध नहीं

भारत सरकार द्वारा जारी, योजना दिशानिर्देशों में, उल्लेख किया गया कि राज्यों द्वारा किसानों का विवरण या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हस्त पंजी में संधारित किया जा रहा है। इसमें आगे प्रावधान किया गया कि राज्य अपने द्वारा संधारित किए गए किसानों की सूची अपलोड करते हुए पी.एम.–किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं। अतः राज्यों से अपेक्षा थी कि वे अपने राज्यों के किसानों की सूची बनाए रखें एवं किसानों की इस सूची को अपलोड करते हुए उन्हें पी.एम.–किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने की अनुमति प्रदान की गई।

हालांकि, कृषि विभाग के पास ऐसी कोई सूची संधारित नहीं थी। इसलिए, यह पी.एम. –किसान पोर्टल पर किसानों की कोई सूची अपलोड करने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार विवरण प्रदान करने एवं दस्तावेज अपलोड करने की जिम्मेवारी संभावित लाभार्थियों पर आ गई। कृषि विभाग ने अपने डी.बी.टी. पोर्टल पर किसानों से व्यक्तिगत आवेदन मांगे। विभाग द्वारा इन आवेदनों के प्रसंस्करण के बाद, किसानों के विवरण को भारत सरकार के पी.एम.–किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। राज्य के किसानों को योजना का लाभ देने की चरण–वार प्रक्रिया नीचे **चार्ट 2.2** में दिखाई गई है:

चार्ट 2.2
राज्य में पी.एम.–किसान योजना के लिए पंजीकरण एवं लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया

(स्रोतः भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा पी.एम.–किसान दिशा–निर्देश)

भारत सरकार के दिशानिर्देशों ने आगे निर्धारित किया कि किसान जिनके नाम पी. एम.–किसान पोर्टल पर एक विशेष चार–मासिक अवधि में अपलोड किए जाएंगे, उस चार–मासिक अवधि से ही योजना के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस प्रकार, भारत सरकार के पी.एम.–किसान पोर्टल पर शीघ्र ऑनबोर्डिंग का अर्थ किसानों को योजना के लाभों का शीघ्र उपार्जन था। लेकिन, कृषि विभाग ने किसानों की कोई सूची संधारित नहीं की थी जिससे भारत सरकार के पी.एम.–किसान पोर्टल पर उनके शीघ्र ऑनबोर्डिंग सुगम बनाया जा सके, अतः राज्य के अधिकांश किसान इस लाभ से वंचित थे।

योजना के आंकड़ों की जाँच से उद्घाटित हुआ कि राज्य के 78,64,562 लाभार्थियों में से केवल 7,19,497 (नौ *प्रतिशत*) ने भारत सरकार द्वारा जारी सभी सात किस्तों का लाभ प्राप्त किया, क्योंकि वे पहली किस्त अवधि (मार्च 2019 के समापन) के दौरान ही आवेदन करने के कारण जल्दी ही ऑनबोर्ड हो गए थे। इस प्रकार, 71,45,065 (91 *प्रतिशत*) लाभार्थी को रहने दिया जिन्हें भारत सरकार द्वारा जारी सभी सात किस्तों (मार्च 2021) के विरुद्ध एक से छह किस्तों तक योजना का लाभ प्राप्त हुआ, जैसा कि नीचे **तालिका 2.1** में वर्णित है।

तालिका 2.1
योजना पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग में विलम्ब के कारण लाभार्थियों को हुए नुकसान को दर्शाने वाली विवरणी

किस्त संख्या एवं किस्त की अवधि	अवधि के दौरान पंजीकृत एवं निरंतर लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	संबंधित अवधि के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों को हानि हुई किस्तों की संख्या	संबंधित अवधि के सभी लाभार्थियों को हानि हुई किस्तों की गणना की कुल संख्या	कुल राशि (₹ करोड़ में)
A	B	C	D (B x C)	E (D x ₹ 2000)
प्रथम (12/2018 से 3/2019)	719497	0	0	0
द्वितीय (4/2019 से 7/2019)	2592595	1	2592595	518.52
तृतीय (8/2019 से 11/2019)	1585075	2	3170150	634.03
चतुर्थ (12/2019 से 3/2020)	1309969	3	3929907	785.98
पंचम (4/2020 से 7/2020)	986205	4	3944820	788.96
छठा (8/2020 से 11/2020)	447039	5	2235195	447.04
सातवां (12/2020 से 3/2021)	224182	6	1345092	269.02
कुल	**7864562**	**1 से 6**	**17217759**	**3443.55**

(स्रोतः कृषि विभाग)

इस प्रकार, कृषि विभाग के पास किसानों की मौजूदा सूची के अभाव ने 91 *प्रतिशत* लाभार्थियों को ₹3,443.55 करोड़ के योजना लाभ से वंचित कर दिया, जो एक मौजूदा सूची, यदि संधारित होती, को अपलोड करते हुए (मार्च 2019 को समाप्त होने वाली योजना की पहली किस्त अवधि के दौरान) शीघ्र ऑनबोर्डिंग करके सुनिश्चित की जा सकती थी।

सचिव, कृषि विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि योजना की शुरुआत में, विभाग के पास संभावित लाभार्थियों का उनके भूमि स्वामित्व अभिलेख के साथ कोई डेटाबेस नहीं था। राज्य में भूमि अभिलेखों का, हालाँकि डिजिटलीकरण जारी था।

2.6.2 संभावित लाभार्थियों की व्याप्ति

केन्द्र सरकार ने कृषि जनगणना 2015–16 में उल्लिखित परिचालित भूमि जोतों के आधार पर योजना के तहत पात्र परिवारों की संख्या को अनुमानित किया एवं पात्र किसानों के रूप में परिचालित भूमि जोतों का अर्थ लगाया। लेखापरीक्षा ने योजना के पंजीकृत लाभार्थियों की तुलना राज्य में परिचालित भूमि जोतों की संख्या से की। इस तुलना से पता चला कि राज्य में 164 लाख परिचालित भूमि जोतों के विरूद्ध, योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या केवल 82.50 लाख (अगस्त 2021) थी, जिसमें योजना के तहत लगभग 50 *प्रतिशत* किसानों की व्याप्ति निहित हुई।

अपर्याप्त व्याप्ति के मुख्य कारणों में कृषि विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होना, *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना*, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना, *कृषि विज्ञान केन्द्र* (के.वी.के.) जैसी केन्द्र सरकार के योजनाओं तथा राज्य की योजनाओं जैसे डीजल सब्सिडी, कृषि इनपुट योजनाओं आदि के तहत पंजीकृत किसानों के डाटाबेस तक नहीं पहुँचना सम्मिलित हैं।

सचिव, कृषि विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि लाभार्थियों के साथ उनकी भूमि स्वामित्व अभिलेखों के डाटाबेस की गैर–उपलब्धता के कारण राज्य में कुल संभावित लाभार्थियों के आकलन में समस्या उत्पन्न हुई थी।

2.6.3 संभावित लाभार्थियों को लाभों से वंचित रखना

(i) ऑफलाईन आवेदन के लिए कोई प्रावधान नहीं

योजना दिशा–निर्देश निर्धारित करता है कि पात्र किसान ऑफलाईन आवेदन भी कर सकते है। इस नियम के विपरीत राज्य सरकार ने ऑफलाइन आवेदन के लिए विकल्प प्रदान नहीं किया।

इस प्रकार, ऑफलाइन आवेदन के लिए विकल्प प्रदान नहीं करने से, राज्य सरकार ने उन किसानों को योजना के लाभों से रोका जो ऑनलाइन आवेदन नही कर सके थे।

पुनः, संसद में संचार मंत्रालय के उत्तर के अनुसार, राज्य में 8,404 ग्राम पंचायतों में से 109 में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं थी (जुलाई 2021) एवं 39,073 बसे हुए गांवो में से 245 में, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी (दिसम्बर 2021)। इससे संभावित लाभार्थियों की ऑनलाइन आवेदन करने की क्षमता पर असर पड़ा।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि ऑनलाइन आवेदन दोहराव को रोकता है एवं एक व्यक्ति के कई लाभ प्राप्त करने की संभावना से बचाव सुनिश्चित करता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में किसी किसान ने शिकायत नहीं की थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि योजना के तहत *आधार* एक विशिष्ट पहचानकर्ता होने के नाते, इसका उपयोग विभाग द्वारा दोहराव को रोकने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा, उन संभावित लाभार्थियों की आशा करते हुए, जो ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हो सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया के संबंध में शिकायत दर्ज कराने की अपेक्षा करना यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है।

(ii) केन्द्र सरकार के पी.एम.–किसान पोर्टल पर किए गए आवेदनों का गैर–प्रसंस्करण

योजना के दिशा–निर्देश, केन्द्र सरकार के पी.एम.–किसान पोर्टल पर स्व–पंजीकृत करने के लिए नए किसानों के आवेदनों को संसाधित करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, प्रावधानित करता है कि एक बार जब फार्म भर दिया गया हो और सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया हो तो यह सत्यापन के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया द्वारा एस.एन.ओ. को अग्रेषित हो जाता है। एस.एन.ओ. विवरण को सत्यापित करता है एवं सत्यापित ऑकड़ों को पी.एम.–किसान पोर्टल पर अपलोड करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि राज्य ने उन किसानों के आवेदनों का प्रसंस्करण नहीं किया जिन्होंने केन्द्र सरकार के पी.एम.–किसान पोर्टल/ऐप पर सीधे स्व–पंजीकृत किया था। तथापि, ऐसे आवेदकों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। एस.एन.ओ. ने बताया (नवंबर 2021) कि ऐसे किसानों को योजना के लाभ के लिए राज्य पोर्टल पर फिर से आवेदन करने के लिए सूचित किया गया था। लेकिन, उन्होंने उन किसानों को ऐसी जानकारी के प्रेषण के संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया।

सचिव, कृषि विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि पी.एम.–किसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन विलंब से अस्तित्व में आया एवं इससे पहले कि राज्य ने इसकी आवेदन प्रक्रिया पहले शुरू कर दी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी.एम.–किसान पोर्टल पर जमा किये गये आवेदनों को अवधि की परवाह किए बिना संसाधित किया जा सकता था।

2.6.4 स्व–घोषणाओं की अपर्याप्तता

योजना का दिशा–निर्देश निर्धारित करता है कि राज्य सरकार लाभार्थियों द्वारा की गई स्व–घोषणा के आधार पर लाभार्थियों की पात्रता को प्रमाणित कर सकते है। यह आगे निर्धारित करता है कि राज्य सरकार लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना/घोषणा के सत्यापन के लिए उपयुक्त तंत्र/प्राधिकरण के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य सरकार द्वारा योजना दिशानिर्देशों के पूर्वोक्त सक्षम प्रावधान का प्रयोग नहीं किया गया था। वह लाभार्थियों द्वारा की गई स्व–घोषणाओं पर निर्भर थी। राज्य सरकार के पास आयकर भुगतान की स्थिति और अन्य अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के बारे में स्वःघोषणा की प्रतिपरीक्षण के लिए कोई तंत्र नहीं था।

केंद्र सरकार के स्तर पर किए गए सत्यापन से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 2021) कि राज्य के 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 48,366 अपात्र लाभार्थी आयकर दाता थे और ₹39.05 करोड़ का योजना लाभ प्राप्त हुआ था, जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.2** में दिया गया है–

तालिका 2.2
आयकर दाता अपात्र लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किस्तवार लाभ

किस्तों की संख्या	किस्तों को आच्छादित करने वाले माहों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों को प्राप्त कुल किस्तों की संख्या	कुल राशि (₹ करोड में)
A	B (A x 4 माह)	C	D (AxC)	E (D x ₹ 2000)
1	4	2011	2011	0.40
2	8	2499	4998	1.00
3	12	14110	42330	8.47
4	16	8863	35452	7.09
5	20	14859	74295	14.86
6	24	6024	36144	7.23
कुल	-	**48366**	**195230**	**39.05**

(स्रोत –कृषि विभाग)

इन 48,366 लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किये गए किस्तों की औसत संख्या चार थी जो कुछ मामलों में छह तक पहुँच गई। इसका अर्थ यह भी है कि एक औसत आधार पर, कुछ मामलों में इन अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने में विभाग को 16 माह से 24 माह (चार किस्तों से छह किस्तों तक की समयावधि) का समय लगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बिहार सरकार ने किसानों के आयकर भुगतान की स्थिति को सत्यापित करने के लिए तंत्र नहीं बनाया। आयकर विभाग द्वारा आवेदकों को आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन), यदि हो एवं आयकर रिटर्न की प्रतियाँ, यदि दायर किया गया हो की मांग से आयकर दाताओं को योजना लाभ भुगतान के मामले कम कर सकते थे।

सचिव, कृषि विभाग ने स्वीकार किया कि आयकर दाता किसानों का पता लगाने के लिए राज्य स्तर पर कोई तंत्र नहीं था। उन्होंने आगे जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर तंत्र का अनुसरण किया कि किसी भी अपात्र लाभार्थी को योजना का लाभ न मिले और सत्यापन के विभिन्न स्तरों पर 39 लाख से अधिक आवेदनों को रद्द किया गया था। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने 48,366 आयकरदाताओं को हटाने के लिए उपलब्ध तंत्र का प्रयोग नहीं किया जैसे पैन एवं आयकर रिटर्न की प्रति की मांग, जो सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत कर सकता था।

आगे, लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2021) कि कृषि विभाग ने अन्य अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने के लिए विभिन्न सत्यापन प्रणाली यथा लाभार्थी के रोजगार की स्थिति, उसी परिवार से एक से अधिक सदस्य, मृत्यु के मामले आदि के रहने के बावजूद 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 7,951 अपात्र लाभार्थियों को ₹8.13 करोड़ की राशि का योजना लाभ प्राप्त हुआ था। ऐसे अपात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़कर (नवम्बर 2021) 19,485 हो गई जिसमें ₹23.62 करोड़ का भुगतान शामिल है। जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.3** में वर्णित है –

तालिका 2.3
अन्य अपात्र लाभार्थियों को किस्तवार प्राप्त लाभ

किस्तों की संख्या	किस्तों को आच्छादित करने वाले माहों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों को प्राप्त कुल किस्त	कुल राशि (₹ करोड़ में)
A	B (Ax4 माह)	C	D (A x C)	E (D x ₹2000)
1	4	152	152	0.03
2	8	438	876	0.18
3	12	1194	3582	0.72
4	16	1995	7980	1.60
5	20	3178	15890	3.18
6	24	3821	22926	4.59
7	28	3968	27776	5.56
8	32	3846	30768	6.15
9	36	893	8037	1.61
कुल	**-**	**19485**	**117987**	**23.62**

(स्रोत –कृषि विभाग)

अपवर्जन मानदंड में स्पष्टता की कमी को एस.एन.ओ. ने अपात्र लाभार्थियों के चयन के कारणों में से एक के रूप में उल्लेखित किया लेकिन स्पष्टता की कमी वाले विशिष्ट बिंदुओं को उनके द्वारा इंगित नहीं किया गया। हालांकि, एस.एन.ओ. ने न तो स्पष्टता की कमी वाले बिंदुओं पर भारत सरकार से कोई मार्गदर्शन मांगा और न ही योजना के कार्यान्वयन में शामिल पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कोई विशिष्ट जाँच सूची या एस.ओ.पी. जारी किया जो अपात्र लाभार्थियों के चयन के कारणों में से एक हो सकता है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि स्व–घोषणा प्रपत्र के तंत्र में लाभार्थियों/परिवार के सदस्यों के द्वारा भविष्य में उनकी पात्रता में अनुवर्ती परिवर्तन के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करने से संबंधित कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं था।

इन 19,485 लाभार्थियों को प्राप्त किस्तों की औसत संख्या छह थी जो कुछ मामलों में नौ तक पहुँच गई। औसतन, इन अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने में कुछ मामलों में विभाग को दो वर्ष (छह किस्तों की समयावधि) लगा जो तीन वर्ष (नौ किस्तों की समयावधि) तक बढ़ गया। इस प्रकार, स्थापित नियंत्रण वांछित रूप से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि अपात्र लाभार्थियों को इसके प्रवेश स्तर पर ही नहीं रोका जा सका। इसके बाद, उनकी पहचान में भी काफी समय लगा।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि रोजगार, मृत्यु या पेंशन के कारण अपात्रता को सत्यापित करना बहुत कठिन है एवं इस तरह का विवरण केवल किसान एवं उनके परिवारों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तथापि, उन्होंने यह भी जवाब दिया कि विभाग लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कर रहा था जिससे ऐसे अपात्र लाभार्थियों के विलोपन में सहायता होगी।

जवाब ने लेखापरीक्षा के दावे की पुष्टि की कि लाभार्थियों/परिवार के सदस्यों को भविष्य में उनकी पात्रता में कोई अनुवर्ती बदलाव के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करने को बाध्यकारी बनाने से अपात्र लाभार्थियों को हटाने में सहायता मिल सकती है। लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के प्रयास जारी रह सकते है।

2.6.5 अपात्र अवयस्क लाभार्थी

योजना का दिशा–निर्देश प्रावधानित करता है कि योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण की निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 होगी एवं उसके बाद अगले पाँच वर्षों के लिए योजना के तहत लाभ की पात्रता के लिए किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अवयस्क बच्चों के वयस्क होने की निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, विभाग ने 53,393 लाभार्थियों को पंजीकृत किया जो 1 फरवरी 2019 की निर्दिष्ट तिथि के बाद वयस्क हुए। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि 10 नमूना–जाँचित जिलों में, 22,301 ऐसे लाभार्थियों को ₹23.59 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य लाभ का भुगतान किया गया था जो नीचे **तालिका 2.4** में वर्णित है। इसी प्रकार के मामले (आठ) नमूना–जाँचित लाभार्थी अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान भी देखे गए थे। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल पर पी.एम.–किसान के तहत लाभ के लिए आवेदन की निर्दिष्ट तिथि अर्थात 1 फरवरी 2019 को लाभार्थी की आयु को पकड़ा नहीं था, जैसा नीचे दिखाये गये नमूना–जाँचित आवदेन के चित्र में दर्शाया गया है।

Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi Yojna(PM-KISAN)

किसान का विवरण

पंजीकरण संख्या :	2141178414856	कृषक श्रेणी :	सीमांत किसान (1 हेक्टेअर से कम)
किसान का नाम	ROHIT KUMAR	पिता का नाम :	MAGAIN RAJAK
जन्म तिथि :	04-Jun-2002	वर्तमान उम्र :	19
जिला :	SAHARSA	प्रखण्ड. :	SIMRI BAKHTIARPUR
पंचायत का नाम:	RAIPURA	गाँव का नाम :	Bindpur
आधार संख्या :	9133 XXXX 4001	मोबाइल नंबर :	7979 xxxx 3614
लिंग :	पुरुष	बैंक का नाम :	SBI
अकाउंट नंबर :	20398968365	IFSC कोड :	SBIN0008363

निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 को आवेदक की आयु न पकड़ने को दर्शाती आवेदन प्रपत्र (27 अक्टूबर 2021) का चित्र

उपरोक्त चित्र ने पुष्टि की कि निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 को आवेदक की आयु आवेदन में पकड़ा नहीं लिया गया था। आवेदन ने आवेदक की केवल वर्त्तमान आयु को ही पकड़ा। हालांकि, 1 फरवरी 2001 के बाद जन्मा कोई भी आवदेक, निर्दिष्ट तिथि पर अवयस्क होने पर योजना के लाभ के लिए अपात्र था। लेकिन डी.बी.टी. पोर्टल पर जन्म तिथि क्षेत्र को अवयस्क लाभार्थियो के पंजीकरण की जाँच के लिए इस पर चेतावनी प्रस्तुत करने के लिए नहीं बनाया गया था।

तालिका 2.4
नमूना जिलों में अपात्र अवयस्क लाभार्थियों को भुगतान

क्रम संख्या	जिला का नाम	पंजीकृत अवयस्क लाभार्थियों की संख्या	भुगतान प्राप्त किए गए अपात्र अवयस्क लाभार्थियों की संख्या	नौवे किस्त तक भुगतान किए गए किस्तों की कुल संख्या	भुगतान की गई राशि (लाख ₹ में)
A	*B*	*D*	*E*	*F*	*G (F x ₹ 2000)*
1	बांका	540	480	2,306	46.12
2	दरभंगा	203	203	1,475	29.50
3	जमुई	5,029	4,681	22,695	453.90
4	खगड़िया	1,496	1,398	6,262	125.24
5	मधुबनी	793	760	5,257	105.14
6	पूर्बी चम्पारण	4,070	3,786	20,509	410.18
7	पूर्णिया	961	835	3,507	70.14
8	सहरसा	3,029	2,636	14,105	282.10
9	सारण	6,183	5,376	29,514	590.28
10	सिवान	2,241	2,146	12,304	246.08
	कुल	**24,545**	**22,301**	**1,17,934**	**2,358.68**

(स्रोत–कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं लेखापरीक्षित सत्व)

इसके अलावा, कृषि विभाग निर्दिष्ट तिथि के बाद वयस्क हुए अवयस्कों की अपात्रता के बारे में अवगत नहीं था, जैसा इस तथ्य से स्पष्ट है कि विभाग ने इस संबंध में पी.एम. किसान केन्द्रीय निगरानी दल से स्पष्टीकरण मांगा (सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2021)। तथापि, स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2022)।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि योजनान्तर्गत पात्र किसानों से पंजीकरण/आवेदन स्वीकार करने की कोई अंतिम तिथि नहीं थी। सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि विभाग ने 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों का डाटा अपलोड नहीं किया था।

जवाब मान्य नहीं है। यह तथ्य कि पंजीकरण/आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं थी निर्दिष्ट तिथि को केवल पात्र किसानों पर प्रयोज्य था और अपात्र अवयस्क किसानों पर नहीं। योजना दिशा–निर्देशों में स्पष्ट रूप से पात्रता तय करने की निर्दिष्ट तिथि (18 वर्ष की आयु सहित) के रूप में 1 फरवरी 2019 का उल्लेख किया गया है।

2.6.6 अपने स्वयं के नाम पर भूमि नहीं होने वाले अपात्र लाभार्थियों को भुगतान

योजना के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक किसान के पास अपने स्वयं के नाम पर भूमि होनी चाहिए।

चयनित लाभार्थी अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि 841 चुने गए लाभार्थियों में से 610 (73 *प्रतिशत*) के पास अपने स्वयं के नाम पर भूमि नहीं थी और फिर भी ₹58.46 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया (मार्च 2021)। यह अनियमितता 10 चयनित जिलों के सभी 20 चयनित प्रखंडों में देखी गयी। जिलावार चयनित लाभार्थी एवं पाए गये लाभों का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5
चयनित लाभार्थियों के नाम पर भू–स्वामित्व नहीं

क्र. सं.	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या	31/3/2021 तक अंतरित किए गए किस्तों की संख्या	अंतरित की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	बांका	80	435	8.70
2	दरभंगा	40	232	4.64
3	जमुई	68	283	5.66
4	खगड़िया	54	211	4.22
5	मधुबनी	58	305	6.10
6	पूर्वी चम्पारण	66	317	6.34
7	पूर्णिया	25	116	2.32
8	सहरसा	70	335	6.70
9	सारण	72	314	6.28
10	सिवान	77	375	7.50
	कुल	**610**	**2923**	**58.46**

(स्रोत–भारत सरकार का पी.एम.–किसान पोर्टल एवं लेखापरीक्षित सत्वों के अभिलेख)

20 चयनित प्रखण्डों में से पाँच में, सी.ओ.[5] ने सूचित किया कि लाभार्थियों का चयन *वंशावली*[6] (वंश) के आधार पर किया गया था, जबकि, अन्य सी.ओ. ने इस संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं किया। राज्य के भूमि अभिलेखों के आधार पर अपने नाम पर भूमि रखने वालों के अतिरिक्त लाभार्थियों की स्वीकृति योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनियमित थी। इसकी इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि छः[7] चयनित जिलों के डी.एम./ए.डी.एम. ने संबंधित सी.ओ. को केवल उन लाभार्थियों के आवेदनों को स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये (अगस्त 2020 से सितंबर 2021 के दौरान) जिनके पास अपने नाम पर भूमि हो। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने केवल झारखंड के मामले में *वंशावली* के आधार पर योजना के लाभ की अनुमति दी एवं वह भी *वंशावली* के प्रमाणीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद। इस प्रकार, योजना के दिशा–निर्देशों के गैर–अनुपालन एवं सी.ओ. द्वारा भूमि सत्यापन की प्रक्रिया के मंदन के परिणामस्वरूप, अपने नाम पर भूमि न होने वाले व्यक्तियों को अनियमित लाभ दिया गया। इसके अलावा, *वंशावली* के आधार पर किसानों को भुगतान एक किसान के स्थान पर कई व्यक्तियों को भुगतान के जोखिम से भरा था।

उपरोक्त दृष्टान्त नमूना–जाँच पर आधारित है और यदि इस तरह के मामलों की जाँच पूरे राज्य में कराई जाती है यह संभव है कि बड़ी मात्रा में अपात्र लाभार्थियों को लाभ हुआ होगा।

निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया (मार्च 2022) कि राज्य में सभी 38 जिलों में भूमि अभिलेखों के अद्यतनीकरण से संबंधित एक विशेष सर्वेक्षण चल रहा था एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर भूमि अभिलेखों का अद्यतन किया जाएगा।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग ने आवेदकों के भूमि स्वामित्व सत्यापन के उद्देश्य के लिए प्रमाणित भूमि स्वामित्व सत्यापन प्रक्रिया अपनाई। सी.ओ. द्वारा, *वंशावली* के आधार पर भूमि कब्जा प्रमाणपत्र (एल.पी.सी.) जारी किया गया था।

---

5 *बौंसी, केवटी–रनवे, जमुई, चौथम एवं कस्बा*
6 *वंशावली तालिका*
7 *बांका, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा एवं सिवान*

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि योजना के दिशा–निर्देश स्पष्ट रूप से केवल उन्हीं किसानो को लाभ के हस्तांतरण का प्रावधान करते हैं जिनके पास अपने नाम पर भूमि है। इसके अलावा, सी.ओ. द्वारा प्रमाणित एल.पी.सी./ *वंशावली* केवल चार मामलों में उपलब्ध थी।

2.6.7 परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी युक्त डाटाबेस का अभाव

योजना के दिशा–निर्देश किसानों के परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी *आधार* से जुड़े इलेक्ट्रानिक डाटाबेस का प्रावधान करते हैं जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं। परिवार का केवल एक सदस्य, भूस्वामी, योजना का लाभ पाने का पात्र है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया देखा कि बिहार सरकार के पास किसान जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज थे के परिवारों के सभी सदस्यों के विवरण युक्त कोई विद्यमान डाटाबेस नहीं था। योजना के लाभों के लिए आवेदन के समय पर भी बिहार सरकार ने ऐसे विवरण प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होने के बावजूद किसानों के परिवारों के सभी सदस्यों का विवरण प्राप्त नहीं किया, जिसका लेखापरीक्षा के दौरान एस.एन.ओ. द्वारा पुष्टि की गई। इसने बिहार सरकार को जाँच करने के तंत्र से वंचित किया कि क्या उसी परिवार से अन्य सदस्य योजना दिशा–निर्देश के विपरीत, योजना के लाभों को प्राप्त कर रहे थे। 841 चयनित लाभार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹3.40 लाख के भुगतान को शामिल करते हुए 41 (पाँच *प्रतिशत*) मामले देखे, जहाँ उसी परिवार के एक से ज्यादा सदस्य को लाभ मिला।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक ही परिवार के सदस्यों को भुगतान के मामलों से बचा जा सकता था यदि दिशानिर्देश के अनुसार किसानों के परिवारों के सभी सदस्यों के विवरण युक्त आधार सम्बद्ध डाटाबेस के लिए अनुबंधित करने की योजना का अनुपालन किया जाता।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग सभी डाटा आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए एक परिष्कृत एप्लिकेशन मॉड्यूल के सृजन पर काम कर रहा था जैसा योजना के परिचालन दिशा–निर्देश में उल्लेखित है। हालाँकि, यदि योजना के दिशा–निर्देशों का पालन किया गया होता और परिवार के सदस्यों के विवरण को भी संज्ञान में लिया जाता, इसे स्वयं आवेदन के समय पर ही सुनिश्चित किया जा सकता था और एक ही परिवार के एक से ज्यादा लाभार्थियों की रोकथाम में सहायता करता।

2.6.8 अन्य अपात्र लाभार्थी

अपात्र लाभार्थियों के भुगतान के अन्य मामले यथा मृत लाभार्थी, जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी एवं जो सरकारी नौकरी में/पेंशनर थे, भी 841 चयनित लाभार्थियों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाए गए, जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में वर्णित है।

तालिका 2.6
मानदंड–वार अपात्र लाभार्थी

अपात्रता की मानदंड	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों के प्रतिशत के रूप में	भुगतान की राशि (₹ लाख में)
मृत लाभार्थियों को प्रदत्त लाभ	9	1	0.44
लाभार्थी जिनके पास कृषि भूमि नहीं है	6	1	0.40
सरकारी नौकरी में/पेंशनर लाभार्थी	3	-	0.36

(स्रोतः पी.एम.–किसान पोर्टल तथा लेखापरीक्षित इकाईयों के अभिलेख)

(i) मृत्यु के बाद लाभ जारी

योजना का दिशानिर्देश के अनुसार, भू–स्वामी की मृत्यु के मामले में, उत्तराधिकारियों का परिवार लाभ का हकदार होगा, यदि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हो। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृत लाभार्थियों के नाम पर योजना के लाभ का हस्तांतरण रोका जाना चाहिए।

लाभार्थी अभिलेख सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 841 चयनित लाभार्थियों में से, छः[8] नमूना जाँचित प्रखण्डों में नौ लाभार्थियों को उनकी मृत्यु के बाद ₹0.44 लाख की राशि का योजना लाभ प्रदान किया गया था। एक[9] मामले में, लाभार्थी की मार्च 2019 में मृत्यु हो गई लेकिन योजना के तहत जुलाई 2019 में वह पंजीकृत पाया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन लाभार्थियों को एक से आठ के बीच किस्तें (कुल 22 किस्तें) हस्तांतरित की गई। औसतन, इन लाभार्थियों को लगभग तीन किस्तें प्राप्त हुईं जिसका अर्थ यह भी निकला कि विभाग उनकी मृत्यु के एक वर्ष (तीन किस्तों की समयावधि) के बाद भी उनका पता नहीं लगा सका।

इस प्रकार, यह लाभार्थियों की मृत्यु की अनुसंधान एवं उनके खाते में लाभ हस्तांतरण रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के अभाव की तरफ इशारा किया। कृषि विभाग को जिला कृषि पदाधिकारियों (डी.ए.ओ.) को उनके क्षेत्रीय कर्मचारियों यथा कृषि समन्वयक के माध्यम से ऐसे मामलों का शीघ्रता से पता लगाने एवं उनके खातों में लाभ हस्तांतरण को रोकने हेतु कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देशित करना चाहिए था।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि मृत्यु के मामले हमेशा किसानों के परिवारों द्वारा सूचित किये गये थे एवं जहां सूचना में देरी होती है, लाभ की प्रतिपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने आगे जवाब दिया कि प्रत्येक सूची कीलन गतिविधि से पहले मृत्यु मामलों की जाँच संचालित करने के निर्देश जारी किए गए थे। जवाब ने इंगित किया कि अपात्रता एवं मृत्यु मामलों की जाँच में और सुधार की जरूरत है।

(ii) कृषि एवं जोतने योग्य भूमि के गैर–स्वामित्व वाले लाभार्थी

योजना के दिशा–निर्देशों प्रावधानित करता है कि योजना के तहत पात्रता के लिए, किसान के स्वामित्व वाली भूमि जोतने तथा कृषि योग्य होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 841 चयनित लाभार्थियों में से, तीन नमूना–जाँचित प्रखण्डों में छह अपात्र लाभार्थियों जिनके पास कृषि एवं जोतने योग्य भूमि नहीं थी को ₹0.40 लाख का योजना लाभ दिया गया था

विभाग को भूमि के अकृष्य तथा गैर–कृषि भूमि के रुप में वर्गीकृत करने के संबंध में मानदंड के बारे में पता नहीं था। ऐसे में, विभाग इस मामले में क्षेत्रीय कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं था। विभाग ने गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही कृषि भूमि के मामलों का पता लगाने के लिए कोई विशेष अभियान भी संचालित नहीं किया (नवंबर 2021)।

सचिव, कृषि विभाग ने आश्वस्त किया (फरवरी 2022) कि विभाग योजना की बेहतर समझ के लिए कार्य करेगा तथा अपात्र लाभार्थियों को प्रतिबंधित करने वाली गतिविधि को अंजाम देने के साथ–साथ संभावित लाभार्थियों तक पहुँचेगी। प्रत्येक सूची कीलन गतिविधि से पहले अपात्रता जाँच संचालित करने के निर्देश जारी किये गये थे। तथापि, तथ्य यह है

---

[8] *दरभंगा सदर, जमुई, चांदन, कस्बा, मढ़ौरा और सिमरी बख्तियारपुर*

[9] *सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड में भागदेवा ग्राम अंतर्गत*

कि योजना के क्रियान्वयन के तीन वर्ष के बाद भी, इन प्रस्तावित गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया गया था।

(iii) अन्य अपात्र लाभार्थी

योजना के दिशा–निर्देश के विपरीत, तीन लाभार्थी, जो सरकारी नौकरी में/पेंशनर थे, को ₹0.36 लाख की राशि की 18 किस्तें प्राप्त हुईं।

सचिव, कृषि विभाग ने वास्तविक–समय या त्वरित आधार पर इस प्रकार के विवरण प्राप्त करने के लिए सरल, प्रभावी तथा कुशल तंत्र के लिए एक नवीन एवं तीव्र तंत्र विकसित करने का आश्वासन दिया (फरवरी 2022)। तथापि, तथ्य यह है कि योजना के कार्यान्वयन के तीन वर्ष के बाद भी, इन प्रस्तावित गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया गया था।

2.6.9 आवासीय भूमि (वासगीत परचा) के आधार पर लाभों की अनियमित स्वीकृति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार (जुलाई 1999) गृहविहीन ग्रामीण परिवारों को आवासीय उद्देश्य के लिए 12.5 डिसमील भूमि के आवंटन का प्रावधान करता है, जिसे आमतौर पर *वासगीत परचा* पर जारी भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है। अभिलेखों के नमूना–जाँच में उद्घाटित हुआ कि सहरसा जिला अंतर्गत बनमा इटहरी प्रखंड में, लाभार्थियों का अनुमोदन आवासीय प्रयोजन हेतु उन्हें वितरित भूमि के आधार किया गया। यह योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन था जिसके अनुसार उनके नाम पर जोतने योग्य एवं कृषि भूमि स्वामित्व वाले भूमि धारक किसानो के परिवार, लाभ प्राप्त करने के पात्र है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बी.ए.ओ.), बनवा इटहारी को कृषि समन्वयक द्वारा अपात्र के रूप में प्रतिवेदित (सितम्बर 2021) 36 व्यक्तियों की सूची के विरूद्ध, चार मामले प्रणाली में सक्रिय पाये गये (नवम्बर 2021) जिसका अर्थ यह कि योजना के तहत वे अब भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंगित किए जाने पर, डी.ए.ओ. सहरसा द्वारा इन चार लाभार्थियों की अवस्था को निष्क्रिय चिन्हित कर दिया गया (नवंबर 2021)। इसके अलावा, डी.ए.ओ. ने सभी अपात्र लाभार्थियों से राशि की वसूली के लिए कृषि समन्वयक को निर्देश दिया (नवंबर 2021)। ऐसे अपात्र लाभार्थियों के अनुमोदन के परिणामस्वरूप सितंबर 2019 से अगस्त 2021 के दौरान ₹4.92 लाख का अनियमित भुगतान हुआ। डी.ए.ओ. सहरसा एवं ए.डी.एम. सहरसा ने पी.एम.–किसान के तहत लाभों के लिए ऐसे व्यक्तियों के अनुमोदन का कारण प्रस्तुत नहीं किया।

सचिव, कृषि विभाग ने, लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत होते हुए, आश्वासन दिया (फरवरी 2022) कि विभाग इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को एक परिपत्र जारी करेगा। योजना के लिए समावेशन मानदंड को भूमिधारी किसान परिवार के बेहतर स्पष्टता एवं समझ के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे। तथ्य यह है कि यह सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने अपात्र लाभार्थियों का अनुमोदन किया था और मानदंड को प्रकाशित करने से चूक या कृत्य की त्रुटियों की सभंवतः कमी नहीं होगी।

2.6.10 आवश्यक भूमि सत्यापन को दरकिनार करना

राज्य सरकार ने योजना लाभ के लिए एक ऑनलाइन आवेदन आधारित दृष्टिकोण अपनाया (फरवरी 2019)। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति के बाद, पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक सत्यापित करेंगे कि आवेदक किसान है। फिर कृषि समन्वयक, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, आवेदक के भूमि अभिलेखों के विवरण के सत्यापन के लिए सी. ओ. को आवेदन अग्रेषित करेगा। सी. ओ., आवेदन को सत्यापित करेगा और ए.डी.एम. को अग्रेषित करेगा जो, लाभ के हस्तांतरण के लिए इसे एस.एन.ओ को अग्रेषित करेगा। एस.एन.ओ इसे केंद्र सरकार के पीएम–किसान पोर्टल पर अपलोड करेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि कृषि विभाग द्वारा जारी अनुवर्ती अनुदेश (मई 2019) में प्रावधान किया गया कि उन मामलों में जहां कृषि समन्वयक द्वारा आवेदन रद्द कर दिया जाता हैं, पुनर्विचाराधीन आवेदन डी.ए.ओ. को प्रस्तुत किया जायेगा जो उनके द्वारा अनुमोदित आवेदन को तब एस.एन.ओ. को अंतिम अग्रेषण के लिए ए.डी.एम को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार, इन पुनर्विचाराधीन आवेदनों के मामलों में, सी.ओ द्वारा भूमि सत्यापन के आवश्यक प्रावधान को दरकिनार कर दिया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक, डी.ए.ओ. द्वारा अग्रेषित 1,35,276 आवेदनों में से, ए.डी.एम. ने 1,20,087 आवेदनों को अनुमोदित किया था। चयनित जिलों के ए.डी.एम. एवं डी.ए.ओ. इस प्रकार के मामलों में सी.ओ. द्वारा भूमि सत्यापन का प्रमाण नहीं दे सके। चार[10] चयनित जिलों में, उपलब्ध कराए गए पुनर्विचाराधीन आवेदनों के नमूना–जाँच में उद्घाटित हुआ कि 31 अपात्र लाभार्थियों के मामले, ₹1.72 लाख के कुल भुगतान शामिल करते हुए, को उनके नाम पर भूमि न होने के बावजूद अनुमोदित किया गया।

इस प्रकार, इन आवेदनों को सी.ओ जो भूमि अभिलेखों का अभिरक्षक है, द्वारा आवश्यक भूमि सत्यापन के बिना अनुमोदित किया गया, एवं इस प्रकार, योजना के लाभो को प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों की संभावना को खारिज नहीं किया जा सका।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब (फरवरी 2022) में आवेदनों पर पुनर्विचार के मामलों में प्रचलित प्रक्रिया को दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया ने किसी भी स्तर पर आवेदन सत्यापन को दरकिनार नहीं किया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह योजना के प्रावधानों के विपरीत था।

2.6.11 आधार और बैंक खाता के साथ भूमि जोत अभिलेखों का डिजिटाइजेशन और संयोजन

योजना दिशा–निर्देश अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं उन्हें *आधार* के साथ–साथ लाभार्थियों के बैंक खाते से जोड़ने की प्रगति में तेजी लाएगी।

बिहार में भूमि अभिलेखों के अद्यतनीकरण एवं डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया लगभग 10 वर्ष पहले शुरू हुई थी एवं अभी भी जारी है (मार्च 2022)। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने, राज्य में *जमाबंदी*[11] की कुल संख्या का उल्लेख किए बिना कहा (मार्च 2022) कि राज्य में लगभग ₹3.78 करोड़ *जमाबंदी* का डिजिटाइजेशन किया गया है। हालांकि, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी.)[12] पर बिहार सरकार द्वारा दर्ज एवं अद्यतन किए गए डाटा (मार्च 2022) से उद्घाटित हुआ कि 47,589 ग्रामों में से 45,401 (95 *प्रतिशत*) के अभिलेख कम्प्यूटरीकृत हो गए थे एवं 493 ग्रामों में अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण जारी था जबकि शेष 1,695 ग्रामों के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य अभी भी पूर्ण किया जाना था।

आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि, राज्य में डिजिटल भूमि जोत अभिलेखों को तदनुसार *आधार* एवं बैंक खाते से संयोजित नहीं किया गया था, जैसा योजना के तहत परिकल्पित था। परिणामस्वरूप, इस डाटा का उपयोग योजना के लिए नहीं किया गया। इस प्रकार, राज्य योजना के तहत आवेदनों को प्रसंस्करण करने के लिए एक तीव्र तंत्र से वंचित रहा।

---

[10] *दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सहरसा*

[11] *अभिधारी खाता पंजी में सभी अभिधारी को आवंटित पन्ना दर्शाने वाली एक संख्या जहां उनके अधिवृत्तियों के ब्यौरे आदि दर्ज की जाती है।*

[12] *भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत*

निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जवाब दिया (मार्च 2022) कि भूमि–जोत अभिलेखों को *आधार* एवं बैंक खाते से संयोजित करना एक विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से 2023–24 तक संभव होगा। इसके अतिरिक्त, यह एक नीतिगत मामला है जिस पर सरकार एवं बैंकों के निर्णय के बाद कार्रवाई की जा सकेगी।

सचिव, कृषि विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत होते हुए एक बहुमुखी डाटाबेस के सृजन पर जोर दिया (फरवरी 2022)। इस तरह के डाटा की उपलब्धता से पी.एम. –किसान के मामलों में किसानों को बहुत फायदा होता। तथापि, तथ्य यह है कि योजना के क्रियान्वयन के तीन वर्ष के बाद भी, इन प्रस्तावित गतिविधियों को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

2.6.*12 अंचल अधिकारियों द्वारा आवेदनों के अनुमोदन में अनियमितताएँ*

कृषि विभाग के प्रावधान के अनुसार, कृषि समन्वयक किसानों द्वारा प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन करेगा एवं इसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित सी.ओ. को अग्रेषित करेगा। लाभार्थियों के भूमि स्वामित्व की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी संबंधित सी.ओ. की होती है।

841 चुने गये लाभार्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि सात प्रखंडो के अंतर्गत ₹2.46 लाख के भुगतान शामिल करते हुए, सी.ओ. ने पूर्वोक्त प्रावधान के विपरीत अन्य प्रखंडों में स्थित भूमि के अभिलेख युक्त आवेदनों को अनुमोदित किया, जिसके कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जवाब दिया (मार्च 2022) कि विभाग ने ऐसे मामलों के सत्यापन के लिए सभी ए.डी.एम. एवं सी.ओ. को निर्देश दिया है।

सचिव, कृषि विभाग ने कहा (फरवरी 2022) कि प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित भूमि अभिलेखों के मामलों में ऐसे मुद्दे हो सकते है। उन्होंने आश्वास्त किया कि विभाग सी.ओ. एवं ए.डी.एम. को अतिरिक्त निर्देश संचारित करेगा एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रचना को केवल उसी अंचल के तहत भूमि जोत को समावेशित करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

2.7 वित्तीय प्रबंधन

राज्य के लाभार्थियों को भुगतान किए गए कुल राशि का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे **तालिका 2.7** में वर्णित है:–

तालिका 2.7
लाभार्थियों को भुगतान किए गए राशि का वर्ष–वार ब्यौरा

भुगतान का वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	भुगतान की गई कुल राशि
वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	50.04	2,915.54	4,556.83	7,522.41

(स्रोत:– कृषि विभाग)

कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि राज्य के 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से 2,81,025 (तीन *प्रतिशत*) को कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, जबकि 3,52,218 (चार *प्रतिशत*) लाभार्थियों ने केवल आंशिक भुगतान प्राप्त किया (अगस्त 2021)। एस.एन.ओ. ने गैर/आंशिक भुगतान के कारणों और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि विभाग के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि 2 फरवरी 2022 तक, राज्य में 84,95,702 किसान पी.एम.–किसान पोर्टल पर पंजीकृत थे एवं उनमें से 2,12,436 किसानों

को कोई किस्त प्राप्त नहीं हुई थी, जबकि 3,40,400 किसानों को आंशिक किस्ते प्राप्त हुई। उन्होंने आगे सूचित किया कि लंबित सुधार 1,30,948 पर स्थिर रही और 51,386 किसानों को अपात्र चिन्हित किया गया था क्योंकि वे आयकर दाता थे। विभाग योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हालांकि, उपरोक्त सारांश पूर्णरूप से व्याख्यात्मक नहीं है क्योंकि 5,52,836 गैर/आंशिक भुगतान के मामलों के विरूद्ध, प्रतिवेदित लंबित सुधार/अपात्र चिन्हित के मामले 1,82,334 हैं। इस प्रकार, 3,70,502 मामलों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी।

2.7.1 विफल एवं लंबित भुगतान

योजना के लिए निधि अंतरण दिशा–निर्देश (फरवरी 2019) निर्धारित करता है कि डी.ए.सी. एफ.डब्ल्यू. ब्यौरे के आवश्यक सत्यापन और अद्यतन करने के लिए राज्य के पदाधिकारियों के साथ विफल लेनदेन का ब्यौरा साझा करेगा। राज्य स्तर के पदाधिकारियों से विवरण प्राप्त होने पर, डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. विफल लेनदेन को फिर से संसाधित करेगा।

राज्य के लाभार्थियों के विफल एवं लंबित भुगतानों की वर्ष–वार विवरणी नीचे **तालिका 2.8** में विस्तृत है।

तालिका 2.8
लाभार्थियों के विफल एवं लंबित भुगतान

वर्ष	हस्ताक्षरित आर.एफ.टी.* की संख्या	उत्पन्न एफ.टी.ओ.# की संख्या	सफल भुगतानों की संख्या	विफल भुगतानों की संख्या	लंबित कार्रवाई वाले भुगतानों की संख्या
2018-19	250,835	250,796	250,211	585	0
2019-20	1,46,08,460	1,46,06,738	1,45,77,717	25,835	3,186
2020-21	2,30,07,491	2,30,07,195	2,27,84,406	87,828	1,34,961
कुल	**3,78,66,786**	**3,78,64,729**	**3,76,12,334**	**1,14,248**	**1,38,147**

*(स्रोतः–पी.एम.–किसान पोर्टल) * अंतरण का अनुरोध # निधि अंतरण आदेश*

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि राज्य के लाभार्थियों को कुल ₹50.48 करोड़ की राशि का योजना लाभ विफल एवं लंबित भुगतान के कारण अंतरित नहीं किया जा सका।

एस.एन.ओ. ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि ऐसे मामलों को केंद्र सरकार को पहले ही अधिसूचित किया गया था एवं भुगतान केवल उनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। हालांकि, एस.एन.ओ. ने राज्य द्वारा की गई कारवाई, यदि कोई हो, के बाद संबंधित खातों में जमा किए गए लेन–देन का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या राज्य सरकार ने विवरणों का आवश्यक सत्यापन एवं अद्यतनीकरण किया था। लाभार्थियों के बैंक खातों का उनके संबंधित *आधार* के साथ संयोजन को बिहार सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था जबकि यह योजना के दिशा–निर्देशों में अपेक्षित था।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया कि डी.बी.टी. माध्यम का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार का योजना में भुगतानों पर पूर्ण नियंत्रण था। विफल एवं लंबित मामलों का भुगतान करने का मामला पी.एम.–किसान निगरानी दल के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों के दौरान नियमित रूप से उठाया गया था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि विफल एवं लंबित भुगतान के साथ–साथ राज्य सरकार की तरफ से की गई अप्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप अभीष्ट प्राप्तकर्ता को निधि का हस्तांतरण नहीं किया जा सका।

2.7.2 बैंक खाता से संबंधित विसंगतियों के कारण पी.एफ.एम.एस. द्वारा आवेदन रद्द किया जाना

योजना के लिए निधि अंतरण दिशा–निर्देश निर्धारित करते है कि राज्य सरकार को *आधार* संख्या, बैंक खाता संख्या एवं बैंक के आई.एफ.एस. कोड सहित लाभार्थियों के ब्यौरे शामिल हों, की सत्यता सुनिश्चित करनी है। आगे, लाभार्थी के गलत/अपूर्ण बैंक विवरणों के मामले में शीघ्र समाशोधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ (अगस्त 2021) कि 67,535 लाभार्थियों के आवेदनों को बैंक खातों से संबंधित विसंगतियों यथा बैंक वर्त्तमान में निष्क्रिय और अन्य बैंक में विलय हो गया, आई.एफ.एस. कोड या तो मौजूद नहीं या वर्तमान में निष्क्रिय हैं, खाता बैंक में मौजूद नहीं हैं, खाता स्थिति बंद है या बैंक खाता संख्या अमान्य आदि के कारण पी.एफ.एम.एस. द्वारा रद्द कर दिए गए थे।

एस.एन.ओ. ने इस तरह की अस्वीकृति को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया कि उनके डी.बी.टी. पोर्टल में बैंक खाते के विवरण, सी.बी.एस. के तहत ग्रामीण और सहकारी बैंकों को कवर न करने, डुप्लिकेट बैंक खातों आदि की जाँच करने की सुविधा नहीं थी और कहा कि संबंधित लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को सही करने के लिए कहा गया था।

हालांकि, एस.एन.ओ. ने केंद्र सरकार के संज्ञान में नहीं लाया कि ग्रामीण एवं सहकारी बैंक सी.बी.एस. के अंतर्गत आच्छादित नहीं थे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों में उल्लेख नहीं किया गया था कि लाभार्थियों के बैंक खाते सी. बी.एस. के अंतर्गत आच्छादित होने चाहिए।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि वर्त्तमान में पी.एफ.एम.एस. में सुधार 27,310 (40 *प्रतिशत*) रहा एवं ऐसे सभी आवेदकों को उनके बैंक खातों एवं आई.एफ.एस. कोड को सही करने के लिए एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया गया है। विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी खाता सुधार के संबंध में संवेदनशील बनाया गया है।

2.7.3 चयनित लाभार्थियों की सूची के अतिरिक्त योजना में विसंगतियां

2.7.3.1 गलत बैंक खातों में अंतरण

चयनित जिलों में बैंक खातों में सुधार के लिए लाभार्थियों द्वारा जमा किए गए आवेदनों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 175 लाभार्थियों से संबंधित ₹22.62 लाख की योजना लाभ अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते में अंतरित किया गया।

इस अनियमितता में लाभार्थियों के बैंक खाते की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान प्रणाली में कमी की संपुष्टि की। इससे टाला जा सकता था अगर राज्य ने लाभार्थियों के बैंक खातों के सत्यापन के लिये एक तंत्र विकसित किया होता जैसा योजना के दिशा–निर्देश में परिकल्पना की गई थी। आगे, प्राधिकारियों ने अन्य व्यक्तियों के खाते में अंतरित राशि को वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं किया था (नवंबर 2021)।

सचिव, कृषि विभाग ने कहा (फरवरी 2022) कि ऑन–लाइन पंजीकरण के दौरान स्वयं लाभार्थियों द्वारा बैंक खातों के विवरण दिये गये थे। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि मौजूदा समाधान अभी भी प्रचलित था एवं इसने काफी हद तक सहायता की थी, विभाग एक त्वरित समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में परिवर्तन करने के लिए सक्षम बना देगा। हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि लाभार्थियों के बैंक खाते को उनके संबंधित *आधार* से संयोजित करने से ऐसे मामलों को रोकने में सहायता मिलती।

2.7.3.2 "भुगतान रोक" के अनुरोधों के बावजूद भुगतान की विमुक्ति

योजना के दिशा–निर्देश अपात्र पाए गए किसानों के भुगतान रोक अमल में लाने का प्रावधान करता है। एस.एन.ओ. मामलों जहां "भुगतान रोधन" की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया गया था की खेप–वार विवरणी उपलब्ध नहीं करा सका।

लेखापरीक्षा में देखा कि 10 चयनित जिलों में से छः में, डी.ए.ओ. द्वारा भुगतान रोकने हेतु एस.एन.ओ से आग्रह के बाद भी, 138 लाभार्थियों को ₹6.96 लाख का भुगतान किया गया। इस प्रकार, संबंधित अधिकारियों द्वारा ससमय कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थियों को भुगतान हुआ।

सचिव, कृषि विभाग ने इस पर विशेष प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं किया।

2.7.3.3 निष्क्रियता के परिणामस्वरूप अनियमित भुगतान

योजना के दिशा–निर्देश अपात्र पाये जाने वाले किसानों के लिये प्राधिकारियों द्वारा भुगतान रोक अमल में लाने की अपेक्षा करता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बी.ए.ओ., बरहरिया ने एक कृषि समन्वयक के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड को चोरी करके किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 87 आवेदनों की अनधिकृत स्वीकृति के बारे में डी.ए.ओ. सिवान को सूचित किया (सितंबर 2020)। साथ ही, बी.ए.ओ., सिवान सदर एवं बी.ए.ओ., मैरवा ने 11 अपात्र लाभार्थियों के बारे में डी.ए.ओ, सिवान को सूचित किया (सितंबर/अक्टूबर 2020) और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.ए.ओ., सिवान ने इन आग्रहों पर कोई कार्रवाई नहीं किया (सितंबर 2021) परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त 98 व्यक्ति में से 70 ने ₹7.40 लाख का अनियमित भुगतान प्राप्त किया। इस प्रकार, डी.ए.ओ. की लापरवाही के कारण, अनियमित भुगतान हुआ अभी तक वसूली किया जाना था (सितंबर 2021)।

सचिव, कृषि विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि अपने लॉगिन्स के संबंध में आवश्यक सावधानियाँ बरतना अधिकारियों का कर्त्तव्य था। अनधिकृत लॉगिन का उपयोग करते हुए, सभी निष्पादित कार्य कार्य पूर्ववत कर दिए गये।

हालांकि यह तथ्य रह गया कि, डी.ए.ओ. को बी.ए.ओ. द्वारा दिए गए अनधिकृत स्वीकृति के संबंध में सूचना के बावजूद अनधिकृत लाभार्थियों को भुगतान किया गया और किसी राशि की वसूली नहीं की गई थी।

2.7.4 भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भेजा जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 का नियम 238 (1) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) का समर्पण निर्धारित करता है।

भारत सरकार ने योजना के शुभारंभ समारोह के वेबकास्टिंग पर हुए व्यय की पूर्त्ति हेतु ₹ 63.40 लाख की राशि राज्य को हस्तांतरित किया (जून 2019)। हालांकि, जी.एफ.आर. के प्रावधान के विपरीत, इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को प्रेषित नहीं किया गया (सितंबर 2021)।

सचिव, कृषि विभाग ने सूचित किया गया (फरवरी 2022) कि ₹63.40 लाख में से, ₹60.76 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को 8 फरवरी 2022 को प्रेषित किया गया था। इस प्रकार, आंशिक उपयोगिता प्रमाण पत्र जी.एफ.आर. के अनुसार निर्धारित समय के लगभग एक वर्ष के उपरांत समर्पित किया गया और प्रयोजन की समाप्ति के लगभग तीन वर्ष के बाद भी ₹2.64 लाख अप्रयुक्त रही जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई थी। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या राशि अव्ययित थी/लक्षित उद्देश्य हेतु व्यय की गई थी या नहीं।

2.7.5 गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना

दो जिलों (पूर्णिया एवं पूर्वी चंपारण) में अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ (सितंबर–अक्टूबर 2021) कि डी.ए.ओ. ने निधियों के वास्तविक खर्च को व्यय करने से काफी पहले विभाग को ₹ 3.77 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जैसा इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के बाद भी राशि उनके पास उपलब्ध थी (**तालिका 2.9**)।

तालिका 2.9
व्यय से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र का समर्पण

जिला का नाम	राशि (₹ लाख में)	यू.सी. समर्पित करने की तिथि	वास्तविक व्यय आरम्भ होने की तिथि
पूर्वी चंपारण	3.49	24/8/2020	25/11/2020
पूर्णिया	0.28	13/8/2020	17/8/2020
कुल	**3.77**	-	-

(स्रोतः डी.ए.ओ. के अभिलेख)

संबंधित डी.ए.ओ. द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

सचिव, कृषि विभाग ने यह आश्वस्त किया (फरवरी 2022) कि विभाग इस संबंध में आंतरिक जाँच आरम्भ कर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

2.7.6 वसूली एवं प्रतिदाय

योजना का दिशा–निर्देश प्रावधान करता है कि गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी हस्तांतरित वित्तीय लाभ की वसूली के लिए जिम्मेदार होगा। डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. ने प्रतिदाय और समाधान की पद्धति को आसान करने एवं गैर–कर प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से अपात्र लाभार्थी, जैसे तंत्र द्वारा चिन्हित आयकर दाता, मृत्यु के मामले एवं वैसे मामले जिनमें गलत बैंक खाता में राशि जमा हो गई हो, से प्रतिदाय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संसूचित किया (अप्रैल 2021)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बिहार सरकार के आकलन के अनुसार, राज्य के 67,851 अपात्र लाभार्थियों से ₹62.67 करोड़ वसूलनीय था (नवंबर 2021 तक)। एस.एन.ओ. ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि अपात्र लाभार्थियों से अब तक लगभग ₹4.00 करोड़ (छः *प्रतिशत*) की वसूली की जा चुकी थी। राशि अभी तक केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना था क्योंकि समाशोधन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं थी। डी.बी.टी. सेल में संधारित रोकड़ बही में वैयक्तिक लाभार्थी और या यूनिट–वार वसूली गयी राशि दर्ज चित्रित नहीं की गयी थी एवं वसूली गयी राशि की प्रविष्टि एकमुश्त की गयी थी। परिणामस्वरूप, वैयक्तिक और/या यूनिट–वार वसूली का पता नहीं लगाया जा सका।

सचिव, कृषि विभाग ने, सूचना देते हुए कि ₹5.00 करोड़ की वसूली कर ली गई थी, जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग वसूली एवं प्रतिदाय प्रक्रिया के लिए एक प्रभावी कार्यप्रणाली के सृजन का प्रयास कर रहा था।

अपात्र लाभार्थियों से सिर्फ ₹5.00 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) की वसूली राज्य की दोषपूर्ण वसूली प्रक्रिया की द्योतक थी। लंबित समाधान के कारण केंद्र सरकार को वसूली गयी राशि की गैर–वापसी वसूली की लेखांकन प्रक्रिया में कमियों की तरफ इशारा किया। पुनः, यदि अपात्र लाभार्थियों को प्रारम्भिक स्तर पर ही रोक दिया जाता, तो न केवल अनियमित भुगतान से बचा जा सकता था बल्कि वसूली प्रक्रिया में अपेक्षित संसाधन भी बचाये जा सकते थे।

2.7.7 दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाना

योजना दिशा–निर्देश प्रावधान करता है कि गलत स्व–घोषणा के मामलें में, लाभार्थी हस्तांरित वित्तीय लाभ की वसूली एवं कानून के अनुसार अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि गलत घोषणा प्रस्तुत करके (नवम्बर 2021) योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध कृषि विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। एस.एन.ओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 67,851 ऐसे लाभार्थी (48,366 आयकर दाता लाभार्थी एवं 19,485 अन्य अपात्र लाभार्थी) थे जिनसे वसूली की जानी थी।

सचिव, कृषि विभाग, ने चर्चा करते हुए कि विभाग ने अपात्र लाभार्थियों से की जाने वाली वसूली के संबंध में निर्देश जारी किया था, आगे सूचित किया कि विभाग वसूली एवं इसके प्रतिवेदन से निपटने के लिए एक बेहतर एवं सुगम प्रणाली पर काम कर रहा था। तथापि, उन्होंने परिकल्पित दण्डात्मक कार्रवाई के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

2.8 निगरानी तंत्र की दक्षता एवं प्रभावशीलता

2.8.1 परियोजना निगरानी इकाई की गैर–स्थापना

योजना के दिशा–निर्देशानुसार, केंद्रीय स्तर पर परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) योजना की समग्र निगरानी, प्रचार/संचार अभियान करने के लिए जिम्मेदार था और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसका नेतृत्व किया जाना था। दिशानिर्देश आगे निर्धारित करता है कि केंद्रीय स्तर पर पी.एम.यू. के तर्ज पर, राज्य सरकार एक समर्पित पी.एम.यू. स्थापित करने पर विचार कर सकती है। लाभार्थियों को हस्तांतरित किये गये किस्तों की राशि के आधार पर, राज्य सरकार को उसके पी.एम.यू. यदि स्थापित हो, पर व्यय को समाविष्ट करने हेतु एक निश्चित *प्रतिशत*[13] केन्द्र सरकार द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य में समर्पित पी.एम.यू की स्थापना नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, 2018–21 के दौरान बि.स. द्वारा ₹9.48 करोड़ का दावा नहीं किया जा सका।

योजना की निगरानी अपर निदेशक, कृषि विभाग के नेतृत्व में डी.बी.टी. प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही थी। डी.बी.टी. प्रकोष्ठ को कृषि विभाग की अन्य योजनाओं की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। निगरानी उद्देश्यों के लिए जिला स्तर से कोई निगरानी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। एक समर्पित पी.एम.यू. का अभाव कई अनियमितताओं जैसे अपात्र लाभार्थियों की गैर–पहचान, अवयस्क लाभार्थियों को भुगतान आदि के लिए भी जिम्मेदार था जो दिशानिर्देशों के विपरीत था। 2019 में दो समाचार पत्र विज्ञापनों को छोड़कर, अभीष्ट लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा कोई जन सम्पर्क माध्यम अभियान प्रारम्भ नहीं किया गया। समर्पित पी.एम.यू. की स्थापना न होने से योजना की समग्र निगरानी प्रभावित हुई।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि डी.बी.टी. प्रकोष्ठ पी.एम.यू. के रूप में पी.एम.–किसान योजना के लिए काम कर रहा था। उन्होने आगे उल्लेख किया कि एक समर्पित सलाहकार और दो प्रोग्रामर के साथ अन्य प्रशासनिक/सहायक स्टाफ सदस्य योजना के कार्यान्वयन में सहायता कर रहे थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक सलाहकार एवं दो प्रोग्रामर, जैसा जवाब में बताया गया था, का चयन ही जनवरी 2022 में किया गया था। इस प्रकार, एक समर्पित पी.एम.यू. की गैर–स्थापना ने न केवल

[13] *पहली किस्त की राशि का 0.25 प्रतिशत और बाद की किस्तों का 0.125 प्रतिशत।*

निगरानी की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि राज्य को ₹ 9.48 करोड़ की निधि से भी वंचित किया।

2.8.2 निगरानी समितियाँ

योजना के दिशा–निर्देशानुसार, राज्य सरकार राज्य एवं जिला स्तरीय समीक्षा/निगरानी समिति को अधिसूचित करेगी।

बिहार सरकार ने प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति का गठन किया (फरवरी 2019)। 2018–19 से 2020–21 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई एवं तत्पश्चात सितंबर 2021 में मात्र एक बैठक आयोजित की गई। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि समिति की बैठक की आवृत्ति सितम्बर 2021 तक निर्धारित नहीं की गई थी, इसके बाद, प्रत्येक तीन महीने में एक बार समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

चुने गए जिलों की लेखापरीक्षा के क्रम में, यह देखा गया कि 2018–21 के दौरान निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। जिला स्तर पर समिति की बैठकों के आयोजित करने को सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

2018–19 से 2020–21 तक की लंबी अवधि के लिए निगरानी समितियों की नियमित बैठक के अभाव ने नियमित आधार पर उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन से क्षेत्रीय संरचनाओं (पी.एम. किसान के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार) को वंचित किया।

सचिव, कृषि विभाग ने, यह उल्लेख करते हुए कि 9 सितंबर 2021 को राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी एवं कुछ जिलों ने भी बैठक आयोजित की थी, जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग ने हर तीन महीने के एक अंतराल पर राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर बैठक आयोजित करने का निर्देश जारी किया था।

2.8.3 प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा योजना की समीक्षा

कृषि विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्तों (डी.सी.) एवं जिलाधिकारियों (डी.एम.) द्वारा योजना की साप्ताहिक समीक्षा के लिए प्रावधान बनाया (फरवरी 2019)। इस आवृति पर, मार्च 2021 के अंत तक प्रत्येक डी.सी. एवं डी.एम. द्वारा सौ से अधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए था।

लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया कि मार्च 2021 तक, संबद्ध सात डी.सी में से, दो[14] ने ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं किया, डी.सी. कोसी ने एक बैठक आयोजित किया एवं डी.सी.पूर्णिया ने चार बैठकें आयोजित किया, जबकि तीन[15] डी.सी. ने इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

10 नमूना जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठकों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि छः[16] डी.एम. ने इस अवधि के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं किया जबकि शेष चार[17] डी.एम. ने इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

---

[14] *भागलपुर एवं मुंगेर*

[15] *दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण*

[16] *बांका, जमुई, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया एवं सिवान*

[17] *दरभंगा, मधुबनी, सहरसा एवं सारण*

2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान नगण्य समीक्षा बैठकों ने नियमित आधार पर प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी के मार्गदर्शन से क्षेत्रीय संरचना को वंचित किया।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि कृषि विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी स्तर पर नियत समीक्षा बैठक आयोजित करना सुनिश्चित नहीं किया।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि योजना की रूप रेखा बनाने के दौरान, यह प्रस्तावित था कि डी.सी. एवं डी.एम. साप्ताहिक रूप से योजना की निगरानी करे लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि डी.एम द्वारा प्रत्येक तीन महीने पर एक बार समीक्षा की जायेगी।

2.8.4 शिकायत निवारण

योजना के दिशा–निर्देशों प्रावधान करता है कि कोई शिकायत या अभियोग जो निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति द्वारा प्राप्त किए जाते है को अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

(i) *शिकायत अधिकारियों का विवरण अधिसूचित नहीं किया जाना*

भारत सरकार ने राज्य सरकारों से प्रमुखता से शिकायत अधिकारियों के विवरण को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अविलंब रूप से अधिसूचित करने का अनुरोध किया (मार्च 2019)।

हालाँकि, राज्य द्वारा अभी तक शिकायत अधिकारियों को अधिसूचित जाना है। इस प्रकार, लाभार्थी अपने शिकायतों को दर्ज करने के लिए अपेक्षित तंत्र से वंचित थे। साथ ही, नए संभावित लाभार्थी अपने शिकायतें दर्ज करने में असमर्थ थे क्योंकि पात्र किसान परिवार की पहचान एवं डाटाबेस की तैयारी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि राज्य स्तर पर एस.एन.ओ. को शिकायत निवारण अधिकारी एवं जिला स्तर पर डी.ए.ओ. को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित करने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि जिला स्तर पर डी.ए.ओ. को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित करने का आदेश 22 फरवरी 2022 को जारी किया गया, लेकिन समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके प्रकाशन का उल्लेख जवाब में नहीं था। इसलिए, बिना जागरूकता के, उनके नामांकन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

(ii) शिकायत निवारण

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि एस.एन.ओ. द्वारा प्रदान की गई शिकायत प्रतिवेदन के अनुसार, 40,082 प्राप्त शिकायतों में से, सिर्फ 9,408 का समाधान किया गया एवं शेष 30,674 शिकायतें लंबित थीं (अगस्त 2021)।

एस.एन.ओ. ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि उन्होंने निपटान प्रक्रिया को तेज किया है एवं वर्त्तमान में शून्य मामले लंबित हैं। तथापि, एस.एन.ओ. शिकायत पंजीकरण एवं इसके निपटान का तिथि–वार विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार, यह सत्यापित नहीं हो सका कि क्या शिकायतों का निबटान दो सप्ताह की नियत अवधि में किया गया था। आगे, यह देखा गया कि 31 महीनों के दौरान (फरवरी 2019 से अगस्त 2021), केवल 9,408 शिकायतों (23 *प्रतिशत*) का निबटारा किया गया जबकि आगामी तीन महीनों यानि सितंबर 2021 से नवंबर 2021 के दौरान, बाकी 77 *प्रतिशत* शिकायतों को लेखापरीक्षा को निष्पादित के रूप में बताया गया। हालांकि, संबंधित अभिलेखों के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या 30,674 लंबित शिकायतों में, जो कि निष्पादित प्रतिवेदित किये गये थे, लाभार्थी की शिकायतों का वास्तव में निवारण किया। साथ ही,

विभिन्न अधिकारियों ने शिकायतों के मामले को सत्यापित नहीं किया, जैसा कि आगामी कंडिका में वर्णित है।

सचिव, कृषि विभाग ने इस संबंध में कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

(iii) शिकायत सत्यापन

बिहार सरकार ने शिकायत मामलों को सत्यापित एवं निवारण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों को निर्देश दिया (फरवरी 2019 एवं जुलाई 2021)। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2018–21 के दौरान चयनित जिलों/प्रखंडों में अधिकारियों द्वारा शिकायतों का कोई सत्यापन नहीं किया गया।

सचिव, कृषि विभाग ने इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

2.8.5 राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश (अगस्त 2019) के अनुसार, राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष के दौरान पात्रता को सुनिश्चित करने हेतु करीब पाँच *प्रतिशत* लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करना अपेक्षित है।

2020–21 की अवधि के लिए भौतिक रूप से सत्यापित किए जाने वाले 78,551 लाभार्थियों वाले 38 जिलों में से आठ में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया (अगस्त 2021)। राज्य में सत्यापन किए जाने वाले अपेक्षित कुल 3,13,660 लाभार्थियों के विरूद्ध, केवल 1,03,518 लाभार्थियों (33 *प्रतिशत*) को सत्यापित किया गया। सत्यापित किए गए 1,03,518 लाभार्थियों में से, 2,683 लाभार्थी (तीन *प्रतिशत*) विभाग द्वारा अपात्र पाए गए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एस.एन.ओ. ने भौतिक सत्यापन के परिणाम के आधार पर न तो कोई उपचारात्मक कार्रवाई किया और न ही भविष्य में लाभार्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शन निर्गत किया।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि 22 फरवरी 2022 तक, 3,13,160 लाभार्थियों में से, 2,73,095 लाभार्थी (87 *प्रतिशत*) वर्ष 2020–21 के लिए भौतिक रूप से सत्यापित किये गये थे। भौतिक रूप से सत्यापित 2,73,095 लाभार्थियों में से, 13,496 लाभार्थी (पाँच *प्रतिशत*) या तो अपात्र पाए गए या मृत घोषित किए गए।

यह इंगित करता है कि संवितरित राशि का करीब पाँच *प्रतिशत* अपात्र लाभार्थियों को गये होंगे। इस प्रकार, यथासमय सत्यापन से अपात्र लाभार्थियों का पता चल जाता और उन लाभार्थियों को लाभ का अंतरण भी पहले रूक जाता।

2.8.6 लाभार्थियों की संख्या में कमी

कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि प्रथम किस्त और सातवीं किस्त की राशि प्राप्ति के बीच लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई जैसा कि नीचे **तालिका 2.10** में वर्णित है–

तालिका 2.10
लाभार्थियों की संख्या में कमी

पंजीकरण की अवधि	योजना के शुरुआत से मार्च 2021 की अवधि के लिए लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान							
	1 दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2019 तक	1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 तक	1 अगस्त 2019 से 30 नबम्बर 2019 तक	1 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक	1 अगस्त 2020 से 30 नबम्बर 2020 तक	1 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक	लाभार्थियों की कमी
1/12/2018 से 31/3/2019 तक	7,35,478	7,35,358	7,35,356	7,25,841	7,25,592	7,25,332	7,19,497	15,981
1/4/2019 से 31/7/2019 तक	-	26,46,949	26,46,628	26,10,184	26,09,405	26,07,771	25,92,595	54,354
1/8/2019 से 30/11/2019 तक	-	-	16,16,692	15,94,531	15,94,383	15,94,097	15,85,075	31,617
1/12/2019 से 31/3/2020 तक	-	-	-	13,38,138	13,20,128	13,19,919	13,09,969	28,169
1/4/2020 से 31/7/2020 तक	-	-	-	-	9,86,428	9,86,283	9,86,205	223
1/8/2020 से 30/11/2020 तक	-	-	-	-	-	4,47,187	4,47,039	148
1/12/2020 से 31/3/2021 तक	-	-	-	-	-	-	2,24,182	-
कुल	**7,35,478**	**33,82,307**	**49,98,676**	**62,68,694**	**72,35,936**	**76,80,589**	**78,64,562**	**1,30,492**

(स्रोत : कृषि विभाग)

कम से कम एक किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की तुलना में 1,30,492 लाभार्थियों की समग्र कमी है।

एस.एन.ओ. ने जवाब दिया कि लाभार्थियों की कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया है। लाभार्थियों की संख्या में कमी के विश्लेषण नहीं करने से योजना का लाभ पाने वाले अपात्र लाभार्थियों से गैर–वसूली तथा साथ ही अनजाने में हुई कतिपय त्रुटियाँ यानी बैंक खाता विवरण में त्रुटियों के कारण गैर–भुगतान आदि के कारण अनुवर्ती किस्त प्राप्त नहीं करने वाले कुछ पात्र लाभार्थियों के जोखिम से भरा है।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि लाभार्थियों की कमी के लिए आयकरदाता लाभार्थी जो अब अपात्र माने गये तथा अन्य अपात्र लाभार्थी जो विभिन्न कारणों से अपात्र हुए, को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि संगत अवधि में, पूर्वोक्त वर्णित अपात्र लाभार्थियों की संख्या 56,317 थी और इस प्रकार 74,175 लाभार्थी अब भी अलेखांकित थे।

2.8.7 चिन्हित लाभार्थियों की गैर–वैद्यता

योजना का दिशा–निर्देश प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित लाभार्थियों की सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

इस प्रकार, राज्य के लाभार्थियों की सूची जो राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से चिन्हित किए गए, उनके पहचान की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध थी और एक वर्ष के बाद पुनः सत्यापित किया जाना था। योजना के आँकड़ों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि राज्य के 63,66,837 लाभार्थियों ने 31 मार्च 2021 तक एक वर्ष से ज्यादा पूरा कर लिया था और इसलिए दिशा–निर्देशानुसार पुनर्सत्यापन की गारंटी मागी। हालाँकि, इन लाभार्थियों के पुनर्सत्यापन करने के लिए राज्य में कोई अभियान कार्यान्वित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2021)। यह अपात्र लाभार्थियों की पहचान नहीं होने तथा लाभ प्राप्त करते रहने के जोखिम से भरा था।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि सभी लाभार्थियों का सत्यापन योजना के आने वाले आगामी समाजिक लेखापरीक्षा के दौरान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सत्यापित करने के लिए कि कोई अपात्र या मृत किसान को लाभ मिला डी.ए.ओ. द्वारा निष्पादित सूची कीलन गतिविधि आवश्यक रूप से मौजूदा लाभार्थी सूची का सत्यापन

था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक किस्त के पहले लाभ अंतरण के लिए सूची कीलन गतिविधि एक सामान्य प्रक्रिया थी और वार्षिक सत्यापन के लिए एक स्थानापन्न के रूप में विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें सभी लाभार्थियों के सत्यापन का परिणाम शामिल नहीं था।

2.8.8 पारदर्शिता एंव सूचना का अभाव

योजना का दिशा–निर्देश प्रावधान करता है कि पात्र लाभार्थियों की सूची गाँव/*पंचायत* स्तर पर प्रकाशित किये जायेंगे ताकि वे किसान जो पात्र हैं, परन्तु उन्हें बाहर रखा गया है, को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि लाभार्थियों की सूची राज्य में ग्राम/*पंचायत* स्तर पर प्रदर्शित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, बहिष्कृत किसानों को उनके मामलों का प्रतिनिधित्व करने के अवसर प्रदान करने का अभीष्ट उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया गया।

आगे, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि कोई पात्र लाभार्थी नहीं छूटे और कि अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाए, डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. ने निर्देश दिया (सितम्बर 2020) कि *ग्राम सभा* की भागीदारी द्वारा निर्देश की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पूरी हो सकती है। हालांकि, योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा 60 चयनित ग्रामों में से किसी में भी आयोजित नहीं किया गया। इसने योजना के सघन अनुश्रवण के लिए आधारभूत स्तरीय संस्थागत व्यवस्था के लाभों से विभाग को वंचित किया।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया कोविड–19 और *पंचायत* चुनाव के कारण आयोजित नहीं किया जा सका था। विभाग ने 60 दिनों के अन्दर जिला में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया (फरवरी 2022)। हालांकि, ग्राम/*पंचायत* स्तर पर पात्र लाभार्थियों की सूची के गैर–प्रकाशन के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.8.9 आवेदनों का विलंबित प्रसंस्करण

राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि विभाग द्वारा निर्गत निर्देश (फरवरी 2019) के अनुसार, एक नये लाभार्थी के आवेदन को पाँच दिनों में कृषि समन्वयक द्वारा, पाँच दिनों में सी.ओ. द्वारा, दो दिनों में ए.डी.एम. द्वारा एवं एक दिन में एस.एन.ओ. द्वारा संसाधित किया जाना है। एस.एन.ओ. सभी लाभार्थियों के स्वीकृत आवेदनों के प्रसंस्करण और अपलोड के लिए वास्तविक लिए गए समय का विवरण प्रदान नहीं कर सका।

चयनित 60 ग्रामों के 28,473 लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि आवेदनों को विभिन्न स्तरों पर विलंब से संसाधित किया गया जैसा नीचे **तालिका 2.11** में विस्तृत है–

तालिका 2.11
विभिन्न स्तरों पर आवेदनों के प्रसंस्करण में विलंब

क्रम सं0	विलंब सीमा	आवेदनों की संख्या (प्रतिशत)				विलंब के कारण किस्तों की हानि	कुल राशि (₹ लाख में)
		ए.सी.	सी.ओ.	ए.डी.एम.	एस.एन.ओ.		
1	लंबित /अस्वीकृत	671	6890	2774	302	--	--
2	कोई विलंब नहीं	8,373 *(29.40)*	5,245 *(18.86)*	10,281 *(49.16)*	5,686 *(31.35)*	--	--
3	1–124 दिन	17921 *(62.94)*	14,059 *(50.57)*	7,844 *(37.51)*	12,056 *(66.47)*	--	--
4	125–249 दिन	951 *(3.34)*	1,104 *(3.97)*	11 *(0.05)*	48 *(0.26)*	2,114	42.28
5	250–374 दिन	513 *(1.80)*	400 *(1.44)*	2 *(0.01)*	9 *(0.05)*	1,848	36.96
6	375–499 दिन	44 *(0.15)*	58 *(0.21)*	0	4 *(0.02)*	318	6.36
7	500–624 दिन	0	41 *(0.15)*	0	32 *(0.18)*	292	5.84
8	625 दिन से अधिक	0	5 *(0.02)*	0	1 *(0.01)*	30	0.60
	कुल	**28,473**	**27,802**	**20,912**	**18,138**	**4,602**	**92.04**

(स्रोतः कृषि विभाग)

ए.सी., सी.ओ., ए.डी.एम. एवं एस.एन.ओ. के स्तर पर क्रमशः 68, 56, 38 एवं 67 *प्रतिशत* मामलों का विलंबित प्रसंस्करण था। 124 दिनों (एक चतुर्मासिक) से अधिक के लिए आवेदन के प्रसंस्करण में विलंब के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को ₹92.04 लाख की राशि के 4,602 किस्तों का गैर–भुगतान हुआ क्योंकि योजना लाभ की पात्रता केवल पोर्टल पर विवरण अपलोडिंग के बाद हीं देय होता है।

सचिव, कृषि विभाग ने अपने जवाब में (फरवरी 2022) आवेदनों की बड़ी संख्या एवं भू–अभिलेखों के अपूर्ण डिजिटलीकरण को विलंब के लिए जिम्मेदार ठहाराया।

2.8.10 लंबित आवेदन

लंबित आवेदनों के आँकड़ों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 6,63,651 एवं 4,85,907 आवेदन विभिन्न स्तरों पर क्रमशः दिनांक 31 मार्च 2021 और 17 सितम्बर 2021 को सत्यापन हेतु लंबित थे जैसा कि **तालिका 2.12** में नीचे विस्तृत है–

तालिका 2.12
विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदन

प्रतिवेदन की तिथि	ए.सी. के पास लंबित	सी.ओ. के पास लंबित	ए.डी.एम. के पास लंबित	कुल लंबित आवेदन
31/3/2021	1,76,866	4,16,204	70,581	6,63,651
17/9/2021	2,27,451	2,20,499	37,957	4,85,907

स्रोतः (कृषि विभाग)

एस.एन.ओ. ने, आँकड़ों की बड़ी मात्रा को जिम्मेदार ठहराते हुए, विभिन्न स्तरों पर विलंबन की अवधि उपलब्ध कराने में कठिनाई व्यक्त की। यह इंगित करता था कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर आवेदनों की विलंबन का अनुश्रवण नहीं किया गया।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि आवेदन एवं सत्यापन एक सतत प्रक्रिया थी और आज तक 92 *प्रतिशत* आवेदन सत्यापित किए गए थे। हालांकि, विभिन्न स्तरों पर विलंबन के अनुश्रवण के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। विलंबित प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप इस अवधि के लिए लाभार्थियों के लाभों की हानि हुई।

2.8.11 किसान क्रेडिट कार्ड के साथ संतृप्ति

भारत सरकार ने राज्य सरकार को एक विशेष 15 दिवसीय अभियान में किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के साथ सभी पी.एम.–किसान योजना के लाभार्थियों की संतृप्ति के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया (फरवरी 2020)। बिहार सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान के लिए पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करना और उसके बाद प्रगति की समीक्षा करनी थी। सभी पी.एम.–किसान लाभार्थी के.सी.सी. के निर्गमन के लिए स्वतः अनुमोदित थे और आवेदन औपचारिकताओं को पूरा करने के अन्तर्गत क्रेडिट सीमा स्वीकृत किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि किसान के रूप में 164.13 लाख भूमि जोतो में से, 81 लाख पी.एम.–किसान लाभों हेतु पंजीकृत थे जबकि राज्य के मात्र 28.42 लाख किसान ही के.सी.सी. धारक थे (मार्च 2021)। इस प्रकार, बिहार सरकार ने के.सी.सी. की संतृप्ति बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि के.सी.सी. धारकों की संख्या 31.38 लाख (जनवरी 2020) से घटकर 28.42 लाख (मार्च 2021) हो गई। लगभग 56 *प्रतिशत* के राष्ट्रीय औसत के विरूद्ध, बिहार में के.सी.सी. की व्याप्ति मात्र 17.32 *प्रतिशत* थी।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग ने पी.एम.–किसान योजना के लाभार्थियों को के.सी.सी. की सहूलियत देने हेतु विशेष अभियान की व्यवस्था की थी। उन्होने यह भी सूचित किया कि 21 मार्च 2020 तक, पी.एम.–किसान के कुल 4,69,524 लाभार्थियों ने के.सी.सी. हेतु आवेदन किया, जिसमें से 3,70,504 आवेदनों को संबंधित बैंक को प्रस्तुत किया गया लेकिन बैंकों द्वारा मात्र 50,678 आवेदन स्वीकृत किये गये।

841 चयनित लाभार्थियों की नमूना–जाँच में लेखापरीक्षा ने देखा कि 73 *प्रतिशत* लाभार्थियों के पास उनके स्वयं के नाम पर भूमि नहीं थी। अतः, ऐसे लाभार्थियों के नाम पर के.सी.सी. स्वीकृत करना मुश्किल था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने के.सी.सी. के साथ पी.एम.–किसान योजना के सभी लाभार्थियों की संतृप्ति के लिए अभियान चलाने के भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया और क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वीकृत लाभार्थियों के कम से कम 10 *प्रतिशत* को लक्षित करने का निर्देश दिया। इससे न्यूनतम लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय आत्मतुष्ट हो सकते हैं।

2.8.12 कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन

यह योजना फरवरी 2019 में प्रारम्भ की गई थी, परन्तु, कृषि विभाग ने योजना के प्रभाव मूल्यांकन का उपक्रम नहीं किया (नवम्बर 2021)। विभाग के पास हितधारकों से फीडबैक प्राप्त और मूल्यांकन करने का कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार, योजना के बेहतर संचालन हेतु हितधारकों के फीडबैक के संदर्भ में कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी। साथ हीं, विभाग पता लगाने की अवस्था में नहीं था कि योजना के अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त हुए अथवा नहीं। तथापि, योजना का लाभ उठाने वाले अपात्र लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या थी, जैसा कि **तालिका 2.13** में नीचे विस्तृत है।

तालिका 2.13
अपात्र लाभार्थियों को भुगतान

अपात्रता	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
आयकर दाता	48,366	39.05	केंद्र सरकार स्तरीय सत्यापन में उद्घाटित हुआ (नवम्बर 2021) कि 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 48,366 आयकर दाता लाभार्थियों ने ₹39.05 करोड़ की योजना का लाभ प्राप्त किया था। चूँकि वास्तिवक सत्यापन का सीमा लेखापरीक्षा को ज्ञात नहीं है अतः अपात्र लाभार्थियों की संख्या और अधिक हो सकती है।
अन्य अपात्रताएँ जैसे नियोजित होना, मृत्यु के मामले, इत्यादि	19,485	23.62	कृषि विभाग ने, विभिन्न सत्यापनों के माध्यम से पाया कि 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 19,485 अन्य अपात्र लाभार्थियों ने ₹23.62 करोड़ का योजना लाभ प्राप्त किया था।
अवयस्क	22,301	23.59	10 चयनित जिलों में, 24,545 पंजीकृत अवयस्क लाभार्थियों में से 22,301 (91 *प्रतिशत*) को ₹23.59 करोड़ का अस्वीकार्य लाभ का भुगतान किया गया। यह संख्या एवं राशि बढ़ सकती है जब राज्य के सभी 38 जिलों की गणना की जाए।
भूमि नहीं होना	610	0.58	841 चयनित लाभार्थियों में से, 610 (73 *प्रतिशत*) के पास उनके स्वयं के नाम पर भूमि नहीं थी एवं ₹58.46 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।
एक परिवार में एक से अधिक सदस्य	41	0.03	841 चयनित लाभार्थियों में से 41 में (पाँच *प्रतिशत*) उसी परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभार्थी के रूप में थे और ₹3.40 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।
मृत/कृषि भूमिहीन/सरकारी सेवक/पेंशनधारी को लाभ	18	0.01	841 चयनित लाभार्थियों में से नौ लाभार्थी मृत थे, छः के पास कृषि भूमि नहीं थी और तीन सरकारी नौकरी में/पेंशनधारी थे एवं ₹1.10 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।
आवासीय भूमि के आधार पर लाभ	36	0.05	चयनित लाभार्थियों के अतिरिक्त 36 लाभार्थियों ने आवासीय भूमि (*वासगीत पर्चा*) के आधार पर ₹4.92 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।
भूमि सत्यापन को दरकिनार करने के कारण अनियमित लाभ	31	0.02	अस्वीकृत आवेदनों (1,20,087) के पुनर्विचार में, सी.ओ. द्वारा भूमि सत्यापन का कोई प्रवाधान नहीं था। नमूना जाँच में उद्घाटित हुआ कि इनमें से, 31 लाभार्थियों, जिनके पास अपने नाम पर भूमि नहीं थी, ने ₹1.72 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।

अपात्रता	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
अन्य प्रखंडो के भूमि अभिलेखों की अनियमित स्वीकृति	24	0.02	841 चयनित लाभार्थियों में से, सी.ओ. ने लाभार्थियों के 24 आवेदनों को स्वीकृत किया था जिन्होंने अन्य प्रखंडों में भूमि होने का विवरण जमा किया था। परिणामस्वरूप इन लाभार्थियों को ₹2.46 लाख का भुगतान हुआ।
गलत बैंक खातों में अंतरण	175	0.23	चयनित लाभार्थियों के अतिरिक्त, 175 लाभार्थियों से संबंधित ₹22.62 लाख के योजना लाभों को अन्य व्यक्तियों में खातों में अंतरित किया गया।
"भुगतान रोक" अनुरोध के बावजूद भुगतानों का विमोचन	138	0.07	चयनित लाभार्थियों के अतिरिक्त, डी.ए.ओ. के भुगतान रोक की सूचना देने के बाद भी, 138 लाभार्थियों को ₹6.96 लाख भुगतान किया गया।
निष्क्रियता के परिणामस्वरूप कारण अनियमित भुगतान	70	0.07	कृषि समन्वयक के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड को चोरी करके 98 आवेदनों को अनधिकृत अनुमोदन के परिणामस्वरूप ₹7.40 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।
कुल	**91,295**	**87.34**	

(स्रोतः कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय एवं लेखापरीक्षित सत्व)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 91,295 अपात्र लाभार्थियों ने ₹87.34 करोड़ की राशि का अदेय लाभ का दावा किया था, जबकि कंडिका संख्या 2.6.1 के **तालिका 2.1** के अनुसार, 71,45,065 लाभार्थी शीघ्र ऑनबोर्डिंग की अनुपस्थिति में ₹3,443.55 करोड़ से वंचित रहे।

सचिव, कृषि विभाग, योजना के प्रभाव मूल्यांकन को संचालित करने संबंधी लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत होते हुए, ने आश्वस्त किया (फरवरी 2022) कि विभाग जल्द से जल्द प्रभाव मूल्यांकन को अंजाम देगा।

2.9 लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन

लेखापरीक्षा ने 300 लाभार्थियों से बातचीत किया, महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं:

- 297 लाभार्थियों ने सूचित किया कि उन्हें सभी किस्तें प्राप्त हुई, और तीन लाभार्थियों को कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हुई क्योंकि यह प्रक्रियाधीन था।
- छः लाभार्थियों ने उनके परिवार में एक से अधिक लाभार्थी का होना स्वीकार किया। एस.एन.ओ. ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि उनसे वसूली की जाएगी।
- 300 में से 296 लाभार्थी *किसान* क्रेडिट कार्ड से आच्छादित नहीं थे। एस.एन.ओ. ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग इन लाभार्थियों तक पहुँचेगा।
- सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से छूटा न हो ग्राम सभा की बैठक को आयोजित करने की जानकारी होने से सभी 300 लाभार्थियों ने इंकार किया। इस संबंध में एस.एन.ओ. द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 80 लाभार्थियों ने योजना के तहत शिकायतों के निवारण हेतु किसी विद्यमान तंत्र की जानकारी होने से इंकार किया। एस.एन.ओ. ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग योजना संबंधी मुद्दों पर सभी किसानों के बेहतर पहुँच पर काम करेगा।

2.10 निष्कर्ष

पी.एम. किसान, भारत सरकार का 100 *प्रतिशत* वित्त पोषित एक केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजना है जिसके अंतर्गत सभी पात्र किसानों को उनकी वित्तीय एवं घरेलू आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति वर्ष ₹6000 की आय सहायता प्रदान करना परिकल्पित है।

योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों की पहचान और लाभार्थी विवरण की सत्यता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगस्त 2021 तक, अर्थात लगभग ढ़ाई वर्ष की अवधि में, मात्र 50 *प्रतिशत* किसानों को ही आच्छादित किया जा सका। अपर्याप्त आच्छादन के लिए विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई विद्यमान सूची का नहीं होना, विद्यमान डाटाबेस तक नहीं पहुँचना, राज्य सरकार की तरफ से किसानों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास का अभाव, ऑफ–लाईन आवेदनों की गैर–स्वीकृती आदि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य की अपनी शिथिलता के कारण, कम से कम 71,45,065 लाभार्थी शीघ्र ऑनबोर्डिंग के अभाव में ₹3,443.55 करोड़ से वंचित रहे।

चूँकि, कृषि विभाग ने लाभार्थियों द्वारा दिए गए स्व–घोषणा की जाँच हेतु तंत्र का सृजन नहीं किया, 48,366 आयकर दाता लाभार्थियों ने ₹39.05 करोड़ प्राप्त किया (नवम्बर 2021); 19,485 अपात्र लाभार्थियों (लाभार्थियों के नियोजन के आधार पर, मृत्यु के मामले इत्यादि) ने ₹23.62 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया (नवम्बर 2021)। 10 चयनित जिलों में 22,301 (91 *प्रतिशत*) अवयस्क लाभार्थियों का ₹23.59 करोड़ की राशि का अस्वीकार्य लाभ का भुगतान किया गया क्योंकि पी.एम. किसान के अंतर्गत लाभ का आवेदन ने निर्दिष्ट तिथि अर्थात 1 फरवरी 2019 को लाभार्थी की आयु को नहीं पकड़ा। इसके अतिरिक्त, 841 चयनित लाभार्थियों में से, 610 (73 *प्रतिशत*) के पास उनके स्वयं के नाम पर भूमि नहीं थी और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया की कमजोरी के कारण योजना मार्गदर्शिका के विपरीत, उन्होंने ₹58.46 लाख का योजना लाभ प्राप्त किया। योजना के लाभों को प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के मामले जो लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए सीमित विश्लेषण पर आधारित थे एवं इसलिए अपात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या और अधिक हो सकती है।

राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल के पास बैंक खाता विवरण जाँचने की सुविधा नहीं थी। फलस्वरूप, विफल एवं लंबित भुगतान के मामले (₹50.48 करोड़), बैंक खाता से संबंधित विसंगतियों के कारण पी.एफ.एम.एस. द्वारा 67,535 आवेदनों की अस्वीकृति, गलत बैंक खातों में अंतरण (₹22.62 लाख) आदि देखे गए। असफल एवं लंबित भुगतानों के मामले के साथ–साथ राज्य सरकार की तरफ से आवश्यक सत्यापन में निष्क्रयता के कारण एक ऐसा अनुकूल वातावरण का सृजन कर सकता है जिसमें राशि अभीष्ट प्राप्तकर्ता को अंतरित नहीं किया जा सकेगा।

समर्पित परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) के अभाव में ₹9.48 करोड़ की बड़ी वंचना, क्षेत्रीय संरचनाओं से अनुश्रवण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं करने, अपात्र लाभार्थियों से खराब वसूली (आठ *प्रतिशत*) एवं वसूली गई राशि (₹5.00 करोड़) का भारत सरकार को गैर–हस्तांतरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र (₹63.40 लाख) का गैर/विलंबित और गलत समर्पण, भुगतान रोक आग्रह के बावजूद ₹6.96 लाख की विमुक्ति, राज्य/जिला स्तरीय समितियों एवं पदनामित अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त बैठक/समीक्षा, शिकायत पदाधिकारियों एवं शिकायत सत्यापन का अभाव, लाभार्थियों में कमी के विश्लेषण के अभाव ने विद्यमान निगरानी प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता को इंगित किया।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि लाभार्थी पहचान प्रक्रिया को और मजबूत करने, लाभार्थियों के विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने एवं बेहतर निगरानी के द्वारा योजना के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहन दे सकता है।

2.11 अनुशंसाएँ

बिहार सरकार –

- किसानों जिसके नाम भू–अभिलेखों में दर्ज हैं के परिवारों के सभी सदस्यों के विवरणयुक्त एक *आधार* या समान सत्यापन योग्य विशेषता से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार कर सकती है।
- एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य में भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण एवं डिजिटलीकरण सुनिश्चित कर सकती है।
- लाभार्थियों द्वारा उनकी पात्रता के संबंध में किए गए स्व–घोषणा पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर काम कर सकती है।
- लाभार्थियों के बैंक खातों के सत्यापनों को सुनिश्चित कर सकती है।
- सभी अपात्र लाभार्थियों को निष्क्रिय, उनको भुगतान की गई राशि की वसूली और उनके चयन के लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है।
- योजना के संपूर्ण अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित पी.एम.यू. की स्थापना और दोषयुक्त अनुश्रवण के लिए जिम्मेदारी तय करना सुनिश्चित कर सकती है।